मंथली पॉलिसी रिव्यू

दिसंबर 2021

इस अंक की झलकियां

संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त; 10 बिल पारित (पेज 2)

संसद में पारित होने वाले बिल्स में बांध सुरक्षा, 2019, कृषि कानून रिपील बिल, 2021 और उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन बिल, 2021 शामिल हैं।

आधार को मतदाता सूची से लिंक करने वाला बिल संसद में पारित (पेज 9)

चुनाव कानून (संशोधन) बिल, 2021 में आधार विवरण को मतदाता सूची के डेटा से लिंक करने का प्रावधान है और यह निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में नामांकन के लिए कई पात्रता तिथियों का प्रावधान करता है।

छह बिल विस्तृत समीक्षा के लिए संसदीय समितियों को भेजे गए (पेज 14)

इनमें बाल विवाह निषेध (संशोधन) बिल, 2021, जैव विविधता (संशोधन) बिल, 2021, सीए, सीडब्ल्यूए और सीएस (संशोधन) बिल, 2021, और मध्यस्थता बिल, 2021 शामिल हैं।

राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में संशोधन (पेज 2)

संशोधित दिशानिर्देशों में प्राथमिकता प्राप्त समूहों के लिए तीसरी डोज़ 10 जनवरी, 2022 से और 15-18 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों के लिए वैक्सीनेशन 3 जनवरी, 2022 से शुरू हो रहा है।

कोविड-19 की दो नई वैक्सीन और पहली एंटी-वायरल ड्रग को ईयूए दिया गया (पेज 3)

दो वैक्सीन्स कोरबेवैक्स और कोवोवैक्स, तथा एंटी वायरल दवा मोलनुपिराविर को कोविड-19 के इलाज के लिए सीमित उपयोग का इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है।

2021-22 की दूसरी तिमाही के दौरान मौजूदा घाटा खाता 1.3% (पेज 4)

व्यापार घाटा बढ़ने और निवेश आय के शुद्ध व्यय में बढ़ोतरी के कारण 2021-22 की दूसरी तिमाही में भारत के चालू खाता संतुलन में 9.6 बिलियन USD का रिकॉर्ड घाटा दर्ज किया गया।

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 पर कमिटी रिपोर्ट पेश (पेज 21)

कमिटी ने सुझाव दिया कि बिल में पर्सनल और नॉन-पर्सनल डेटा के संरक्षण का प्रावधान होना चाहिए। डेटा फिड्यूशरीज़ को हर उस पर्सनल डेटा के ब्रीच की रिपोर्ट करनी चाहिए जिसे वे प्रोसेस करते हैं।

पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, 2020 पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट पेश की (पेज 21)

कमिटी ने सेंट्रल पेस्टिसाइड बोर्ड की शक्तियों में विस्तार किया है ताकि वह पंजीकरण कमिटी के कामकाज पर नजर रख सके और कहा है कि कीटनाशकों को दो वर्षों के अंदर पंजीकृत किया जाना चाहिए।

उपभोक्ता आयोगों के क्षेत्राधिकार पर उपभोक्ता संरक्षण नियम अधिसूचित (पेज 30)

जिला आयोगों में लंबित मामलों की संख्या बढ़ने के कारण नियम जिला, राज्य और राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकारों को कम करते हैं।

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले उद्योग को बढ़ावा देने वाले इनीशिएटिव्स को अधिसूचित किया गया (पेज 22)

सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले तथा संबंधित घटकों के डिजाइन तथा मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने वाली विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं को अधिसूचित किया गया।

3 जनवरी, 2022

PRS Legislative Research ▪ Institute for Policy Research Studies
3rd Floor, Gandharva Mahavidyalaya ▪ 212, Deen Dayal Upadhyaya Marg ▪ New Delhi – 110002
Tel: (011) 43434035-36, 23234801-02 ▪ www.prsindia.org

[विभिन्न मुद्दों और योजनाओं के कार्यान्वयन पर कमिटियों ने रिपोर्ट सौंपी (पेज 28)]

इनमें प्रधानमंत्री स्वनिधि सहित कई योजनाओं की समीक्षा शामिल है। टेलीकॉम/इंटरनेट सेवाओं के सस्पेंशन और उनके प्रभावों, तथा मीडिया कवरेज के नैतिक मानकों से संबंधित रिपोर्ट्स भी सौंपी गई हैं।

[कैग ने विभिन्न विषयों पर अपनी रिपोर्ट्स सौंपी (पेज 16)]

इनमें भूजल प्रबंधन और रेगुलेशंस, तथा नए इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना और उनके कामकाज की समीक्षा करने वाली रिपोर्ट्स शामिल हैं।

संसद

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

संसद का शीतकालीन सत्र समाप्त; 10 बिल पारित, छह बिल्स कमिटियों को भेजे गए

संसद का शीतकालीन सत्र 29 नवंबर, 2021 से 22 दिसंबर, 2021 तक चला। कुल 18 दिन बैठकें हुईं।[1] सत्र 23 दिसंबर तक चलना तय हुआ था, लेकिन इसे एक दिन पहले समाप्त कर दिया गया।

सत्र के दौरान संसद ने 10 बिल पारित किए (विनियोग बिल को छोड़कर)। इनमें से छह बिल सत्र के दौरान पेश किए गए जिनमें से तीन अध्यादेशों, जैसे दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट (संशोधन) बिल, 2021, केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) बिल, 2021 और नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ (संशोधन) बिल, 2021 का स्थान लेते हैं। सत्र के दौरान पारित होने वाले अन्य बिल्स में कृषि कानून रिपील बिल, 2021, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन बिल, 2021 और चुनाव कानून (संशोधन) बिल, 2021 शामिल हैं।

सत्र के दौरान पेश अन्य सभी बिल्स (उनमें से छह) को विस्तृत समीक्षा के लिए कमिटियों के पास भेज दिया गया। ये बिल्स हैं: (i) बाल विवाह निषेध (संशोधन) बिल, 2021 (ii) चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट और वर्क्स एकाउंटेंट्स तथा कंपनी सचिव (संशोधन) बिल, 2021, (iii) जैव विविधता (संशोधन) बिल, 2021, (iv) वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन बिल, 2021, (v) मध्यस्थता बिल, 2021, और (vi) राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग बिल, 2021।

शीतकालीन सत्र 2021 के दौरान लेजिलेटिव बिजनेस पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें। सत्र के दौरान संसद के कामकाज पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें।

कोविड-19

31 दिसंबर, 2021 तक भारत में कोविड-19 के 3.5 करोड़ पुष्ट मामले थे।[2] इनमें से 3.4 करोड़ (98%) मरीजों का इलाज हो चुका है/उन्हें डिस्चार्ज किया जा चुका है और 4.8 लाख लोगों (1.3%) की मृत्यु हुई है। 31 दिसंबर, 2021 तक 84 करोड़ लोगों को वैक्सीन की कम से कम पहली डोज़ मिल गई है जिनमें से 61 करोड़ लोग पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हैं।[3] देश और विभिन्न राज्यों में दैनिक मामलों की संख्या के लिए कृपया यहां देखें।

कोविड-19 के फैलने के साथ केंद्र सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए अनेक नीतिगत फैसलों और इससे प्रभावित नागरिकों और व्यवसायों को मदद देने हेतु वित्तीय उपायों की घोषणा की है। केंद्र और राज्यों द्वारा जारी मुख्य अधिसूचनाओं के विवरण के लिए कृपया यहां देखें। इस संबंध में दिसंबर 2021 में मुख्य घोषणाएं इस प्रकार हैं।

राष्ट्रीय कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में संशोधन

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मद्देनजर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने प्राथमिकता प्राप्त समूह के लिए तीसरी डोज़ और बच्चों के वैक्सीनेशन के संबंध में राष्ट्रीय वैक्सीनेशन कार्यक्रम पर संशोधित दिशानिर्देश जारी किए हैं।[4] दिशानिर्देश 3 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे। मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **बच्चों के लिए वैक्सीनेशन**: 15-18 वर्ष के बच्चों को 3 जनवरी, 2022 से कोवैक्सीन लगाई जाएगी। 2007 में या उससे पहले जन्मे बच्चे इस वैक्सीन के पात्र हैं। उल्लेखनीय है कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने 12-18 वर्ष के बच्चों के लिए कोवैक्सीन को इमरजेंसी यूज अप्रूवल दिया है।[5]
- **ऐहतियातन डोज़**: जिन प्राथमिकता प्राप्त समूहों को पहले ही वैक्सीन की दो डोज़ मिल चुकी हैं, उन्हें 10 जनवरी, 2022 से एक और एहतियाती

डोज़ दी जाएगी। इनमें शामिल हैं: (i) स्वास्थ्यकर्मी, (ii) फ्रंटलाइन वर्कर्स और (iii) ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 60 वर्ष या उससे अधिक है और वे को-मॉर्बिलिडिटी वाले हैं (डॉक्टर की सलाह पर)। दूसरी डोज़ देने की तारीख से नौ महीने पूरे होने के बाद वैक्सीन दी जाएगी।

कोविड के लिए दो नई वैक्सीन्स और पहली एंटी वायरल ड्रग को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन मिला

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (डीसीजीआई) ने कोविड-19 के लिए दो वैक्सीन्स कोरबेवैक्स और कोवोवैक्स, तथा एक एंटी वायरल दवा मोलनुपिराविर के सीमित उपयोग के लिए इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया है।[6]

कोरबेवैक्स को बायोलॉजिकल ई लिमिटेड ने बायोटेक्नोलॉजी विभाग के सहयोग से विकसित किया है।[6] कोवोवैक्स को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने नोवावैक्स से लाइसेंस के अंतर्गत विकसित किया है।[6] इनके अलावा, भारत में छह कोविड-19 वैक्सीन्स को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है। ये हैं: (i) कोविशील्ड, (ii) कोवैक्सिन, (iii) स्पुतनिक-वी, (iv) एमआरएनए-1273 (मॉडर्न वैक्सीन), (v) जेनसेन, और (vi) जायकोवि-डी।[7,8,9,10,11] इन वैक्सीन्स को 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी लोगों को लगाया जा सकता है। उल्लेखनीय है कि कोवैक्सीन 15 से 18 वर्ष के बच्चों को भी लगाई जा सकती है। इस महीने 12-18 वर्ष के बच्चों के लिए भी इसे इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है।[4]

मोलनुपिराविर एक एंटी वायरल ड्रग है जिसे मर्क ने बनाया है। इसे वयस्क मरीजों के इलाज के लिए 13 कंपनियां बना रही हैं।[6] यह कोविड-19 की पहली एंटी वायरल ड्रग है जिसे देश में मंजूरी मिली है।

ओमिक्रॉन के मद्देनजर कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी

Shubham Dutt (shubham@prsindia.org)

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने पूरे भारत में नए और अत्यधिक संक्रामक वैरिएंट ओमिक्रॉन की बढ़ने के साथ कोविड-19 की रोकथाम के लिए दिशानिर्देश जारी किए। गृह मंत्रालय ने एक आदेश जारी कर सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को इन दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित रोकथाम उपायों को लागू करने का निर्देश दिया है।[12] यह आदेश 31 जनवरी, 2022 तक लागू रहेगा। दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **प्रतिबंध लगाने वाले फ्रेमवर्क**: जिला स्तर पर उभरते आंकड़ों की लगातार समीक्षा होनी चाहिए (जैसे कि मामलों की संख्या, उनका भौगोलिक फैलाव और अस्पताल का बुनियादी ढांचा)। जिला-स्तरीय रोकथाम उपायों को निम्नलिखित जिलों में तुरंत लागू किया जा सकता है: (i) पिछले हफ्ते में कम से कम 10% टेस्ट पॉजिटिविटी (टेस्ट किए गए नमूनों में से पॉजिटिव मामलों की संख्या), या (ii) ऑक्सीजन सपोर्टेड या आईसीयू बेड्स की कम से कम 40% ऑक्यूपेंसी। स्थानीय स्थिति के आधार पर, राज्य/केंद्र शासित प्रदेश भी इन सीमाओं तक पहुंचने से पहले ऐसे उपाय कर सकते हैं। रोकथाम के उपायों में रात का कर्फ्यू लगाना, बड़ी सभाओं के लिए सख्त नियम और विवाह एवं अंत्येष्टि जैसे कार्यक्रमें में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या सीमित करना शामिल है।
- **मॉनिटरिंग और सर्विलांस**: दिशानिर्देश में टेस्टिंग (संवेदनशील व्यक्तियों सहित), पॉजिटिव होने वाले सभी व्यक्तियों के संपर्क का पता लगाने और किसी राज्य या जिले में आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की निगरानी निर्दिष्ट है। कोविड पॉजिटिव मामलों के नए क्लस्टर्स के मामले में, सभी क्लस्टर नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाना चाहिए। जीनोम सीक्वेंसिंग जेनेटिक्स के अध्ययन को कहा जाता है। कोविड-19 के मामले में, जीनोम सीक्वेंसिंग वायरस के नए वेरिएंट की वर्तमान स्थिति को समझने में मदद करता है और नए वेरिएंट का जल्द पता लगाने के लिए एक निगरानी तंत्र स्थापित करने में मदद करता है।
- **कोविड-19 का प्रबंधन**: दिशानिर्देशों में कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए विभिन्न रणनीतियों का सुझाव दिया गया है। इनमें बेड बढ़ाना, ऑपरेशनल ऑक्सीजन उपकरण की उपलब्धता, आवश्यक दवाओं का बफर स्टॉक सुनिश्चित करना और घर में आइसोलेशन को सख्ती से लागू करना जैसे क्लिनिकल प्रबंधन उपाय शामिल हैं। सुझाए गए अन्य उपायों में शामिल हैं: (i) पात्र लाभार्थियों के वैक्सीनेशन में तेजी लाना, जिन्हें पहली या डोज़ नहीं मिली है (उन जिलों पर विशेष ध्यान देने के साथ जहां पहली या दूसरी डोज़ का कवरेज राष्ट्रीय

औसत से कम है), (ii) कोविड-19 के मरीजों के इलाज और प्रबंधन के लिए मेडिकल प्रोटोकॉल का पालन, और (iii) सामुदायिक संलग्नता और भागीदारी।

अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें सस्पेंड

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने नए ‘वेरिएंट ऑफ कंसर्न’ ओमिक्रॉन के कारण 31 जनवरी, 2022 तक कमर्शियल अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों के सस्पेंशन को बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना जारी की है।[13]

मार्च 2020 में कोविड-19 महामारी के शुरू होने के कारण अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानें रद्द कर दी गई थीं।[14] तब से कई बार प्रतिबंध बढ़ाया गया है। सितंबर 2021 में डीजीसीए ने अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध 30 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दिया।[15] नवंबर 2021 में डीजीसीए ने 15 दिसंबर, 2021 से कमर्शियल अनुसूचित अंतरराष्ट्रीय यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने के लिए एक अधिसूचना जारी की थी।[16]

समष्टि आर्थिक (मैक्रोइकोनॉमिक) विकास

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट क्रमशः 4% और 3.35% पर अपरिवर्तनीय

मॉनिटरी पॉलिसी कमिटी (एमपीसी) ने अपना द्विमासिक मौद्रिक नीतिगत वक्तव्य जारी कर दिया है।[17] कमिटी ने फैसला किया है कि पॉलिसी रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देता है) 4% की दर पर बरकरार है। कमिटी के अन्य फैसलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- रिवर्स रेपो रेट (जिस दर पर आरबीआई बैंकों से उधार लेता है) 3.35% पर अपरिवर्तनीय है।
- मार्जिनल स्टैंडिंग फेसिलिटी रेट (जिस दर पर बैंक अतिरिक्त धन उधार ले सकते हैं) और बैंक रेट (जिस दर पर आरबीआई बिल्स ऑफ एक्सचेंज को खरीदता है) 4.25% पर अपरिवर्तनीय है।
- एमपीसी ने यह भी निर्णय लिया कि वृद्धि को पुनर्जीवित करने और उसे सतत बनाए रखने के लिए मौद्रिक नीति के समायोजन के रुख को बरकरार रखा जाए।

2021-22 की दूसरी तिमाही में चालू खाता घाटा जीडीपी का 1.3%

2021-22 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारत के चालू खाता संतुलन में 9.6 बिलियन USD (जीडीपी का 1.3%) का घाटा दर्ज किया गया, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में 15.3 बिलियन USD (जीडीपी का 2.4%) का अधिशेष हुआ था।[18] ऐसा मुख्य रूप से बढ़ते व्यापार घाटे और निवेश आय के शुद्ध व्यय में वृद्धि के कारण हुआ था। 2021-22 की पहली तिमाही (अप्रैल-जून) में चालू खाते की शेष राशि में 6.6 बिलियन USD (जीडीपी का 0.9%) का अधिशेष दर्ज किया गया था।[18]

पूंजी खाते में शुद्ध प्रवाह (अंतर्वाह घटा बहिर्वाह, यानी इनफ्लो घटा आउटफ्लो) 2020-21 की दूसरी तिमाही में 15.9 बिलियन USD की तुलना में बढ़कर 40.1 बिलियन USD हो गया। पूंजी खाता उन लेन-देन को दर्ज करता है जिनसे भारत में एंटिटीज़ के एसेट्स/लायबिलिटी की स्थिति में परिवर्तन होता है।

2021-22 की दूसरी तिमाही में विदेशी मुद्रा भंडार में 31.2 बिलियन USD की वृद्धि हुई, जबकि 2020-21 की दूसरी तिमाही में यह 31.6 बिलियन USD थी।

तालिका 1: भुगतान संतुलन, ति2 2021-22 (बिलियन USD)

	ति2 2020-21	ति1 2021-22	ति2 2021-22
चालू खाता	15.3	6.6	-9.6
पूंजी खाता	15.9	25.5	40.1
भूल चूक और लेनी देनी	0.4	-0.2	0.7
मुद्रा भंडार में परिवर्तन	31.6	31.9	31.2

स्रोत: भारतीय रिजर्व बैंक; पीआरएस

वित्त

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट और वर्क्स एकाउंटेंट्स तथा कंपनी सचिव (संशोधन) बिल, 2021 पेश

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट और वर्क्स एकाउंटेंट्स तथा कंपनी सचिव (संशोधन) बिल, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया।[19] बिल चार्टर्ड एकाउंटेंट्स एक्ट, 1949, कॉस्ट और वर्क्स एकाउंटेंट्स एक्ट, 1959 और कंपनी सचिव एक्ट, 1980 में संशोधन करने का प्रयास करता है। ये तीनों एक्ट्स क्रमशः चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कॉस्ट और वर्क्स एकाउंटेंट्स तथा कंपनी सचिव के पेशों के रेगुलेशन का प्रावधान करते हैं। बिल इन एक्ट्स के अंतर्गत अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है, और भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान, भारतीय कॉस्ट एकाउंटेंट्स संस्थान तथा भारतीय कंपनी सचिव संस्थान के सदस्यों के खिलाफ मामलों के समयबद्ध निपटान का प्रावधान करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **फर्मों का पंजीकरण**: फिलहाल इन पेशे से जुड़े लोगों को संबंधित संस्थानों में पंजीकरण कराना होता है। बिल कहता है कि फर्मों को संस्थानों में पंजीकरण कराना होगा, और इसके लिए उन्हें संस्थानों की संबंधित परिषदों में आवेदन करना होगा। परिषदों को फर्मों का रजिस्टर बनाना होगा जिसमें किसी भी कार्रवाई योग्य शिकायत के लंबित होने या फर्मों के खिलाफ जुर्माना लगाने जैसे विवरण होने चाहिए।
- **अनुशासन निदेशालय**: एक्ट्स के अंतर्गत तीन संस्थानों की संबंधित परिषदों में से प्रत्येक को एक अनुशासन निदेशालय बनाना होगा जिसका प्रमुख निदेशक (अनुशासन) होगा जोकि संस्थान का एक अधिकारी हो। बिल कहता है कि प्रत्येक निदेशालय में कम से कम दो संयुक्त निदेशक होने चाहिए।
- एक्ट्स के अंतर्गत शिकायत मिलने पर निदेशक कथित दुर्व्यवहार पर प्रथम दृष्टया राय कायम करता है। दुर्व्यवहार के आधार पर निदेशक उस मामले को अनुशासन बोर्ड या अनुशासन समिति के सामने रखता है। बिल इसमें संशोधन करता है ताकि निदेशक को यह अधिकार दिया जा सके कि वह सदस्यों या फर्मों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से जांच शुरू करे। शिकायत मिलने के 30 दिनों के भीतर निदेशक को यह तय करना होगा कि उस शिकायत पर कार्रवाई होनी चाहिए अथवा नहीं। अगर शिकायत कार्रवाई योग्य है तो निदेशक को 30 दिनों के भीतर बोर्ड या समिति (जैसा भी मामला हो) को प्रारंभिक जांच रिपोर्ट सौंपनी होगी। एक्ट्स के अंतर्गत बोर्ड या समिति की अनुमति मिलने पर शिकायत वापस ली जा सकती है। बिल में प्रावधान है कि निदेशालय में दर्ज की गई शिकायत को किसी भी स्थिति में वापस नहीं लिया जा सकता।

बिल को वित्त संबंधी स्टैंडिंग कमिटी को भेजा गया है। बिल पर पीआरएस के सारांश के लिए कृपया देखें।

एनडीपीएस एक्ट, 1985 में ड्राफ्टिंग की त्रुटि को सही करने वाला बिल संसद में पारित

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ (संशोधन) बिल, 2021 को संसद में पारित कर दिया गया।[20] यह बिल नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का स्थान लेता है।[21] बिल ड्राफ्टिंग की एक चूक को दुरुस्त करने के लिए नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थ एक्ट, 1985 में संशोधन करता है।[22] यह एक्ट नारकोटिक ड्रग्स और साइकोट्रॉपिक पदार्थों से संबंधित कुछ कार्यों (जैसे मैन्यूफैक्चर, परिवहन और उपभोग) को रेगुलेट करता है।[22]

- **अवैध व्यापार का वित्त पोषण करने या इसमें लगे लोगों को शरण देने पर सजा**: एक्ट के अंतर्गत कुछ अवैध कार्यों (कैनेबिस का पौधा उगाना या नारकोटिक ड्रग्स को बनाना) का वित्त पोषण करना या इसमें लगे लोगों को शरण देना अपराध है। अपराधी पाए जाने वाले लोगों को कम से कम 10 वर्ष के कड़े कारावास की सजा होगी (जिसे 20 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है), और कम से कम एक लाख रुपए का जुर्माना भरना होगा।
- **ड्राफ्टिंग की चूक**: 2014 में एक्ट में संशोधन किया गया और एक्ट में अवैध गतिविधियों की परिभाषा बताने वाला क्लॉज नंबर बदल गया। लेकिन उस सेक्शन के नंबर को नहीं बदला गया जिसमें अवैध गतिविधियों को वित्त पोषित करने की सजा बताई गई थी। उस सेक्शन में पहले वाला क्लॉज नंबर ही दिया गया था। बिल में सजा वाले सेक्शन में संशोधन किया गया है और उसमें पुराने क्लॉज नंबर की जगह नया क्लॉज नंबर जोड़ा गया है। यह संशोधन 1 मई, 2014 से प्रभावी माना जाएगा (यानी जब 2014 के संशोधन प्रभावी हुए

आरबीआई ने एनबीएफसीज़ के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई संरचना जारी की

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) के लिए त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) संरचना जारी की है।[24] पीसीए संरचना के अंतर्गत सुपरवाइजरी पहल की जा सकती है और इसके जरिए सुपरवाइज्ड इकाई से अपनी वित्तीय स्थिति को बहाल करने के उपायों को लागू करने की अपेक्षा की जाती है। आरबीआई ने कहा किया कि एनबीएफसी आकार में बढ़ गए हैं और वित्तीय प्रणाली के अन्य क्षेत्रों से पर्याप्त रूप से जुड़े हुए हैं। पीसीए संरचना एनबीएफसी पर लागू होने वाले सुपरवाइजरी उपायों को मजबूत करने का प्रयास करती है। यह संरचना 1 अक्टूबर, 2022 से प्रभावी होगी। संचालन के तीन वर्ष बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। इसकी मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **एप्लिकेबिलिटी**: यह संरचना सभी डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी (सरकारी कंपनियों को छोड़कर) और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी पर लागू होगी: (i) मध्यम स्तर (कम से कम 1,000 करोड़ रुपए की संपत्ति), (ii) ऊपरी परत (आरबीआई द्वारा बढ़ी हुई रेगुलेटरी शर्तों की वारंटी देने वाले एनबीएफसी के रूप में चिन्हित), और (iii) शीर्ष परत (संभावित प्रणालीगत जोखिम में पर्याप्त वृद्धि करने वाले वाले एनबीएफसी)। यह संरचना कुछ नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी जैसे सरकारी कंपनियों और हाउसिंग फाइनांस कंपनियों पर लागू नहीं होगी।
- **एनबीएफसीज़ की मॉनिटरिंग**: एनबीएफसी की मॉनिटरिंग संरचना के अंतर्गत कुछ मेट्रिक्स के आधार पर की जाएगी। डिपॉजिट टेकिंग और नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी दोनों के लिए, पूंजी और परिसंपत्ति गुणवत्ता निगरानी के प्रमुख क्षेत्र होंगे। मुख्य निवेश कंपनियों (नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी के अंतर्गत) के लिए आरबीआई उपरोक्त दो मेट्रिक्स के अलावा लीवरेज (पूंजी के लिए संपत्ति का अनुपात) की भी निगरानी करेगा। एनबीएफसी को आम तौर पर ऑडिट किए हुए वार्षिक वित्तीय परिणामों और/या आरबीआई के सुपरवाइजरी मूल्यांकन के आधार पर पीसीए के अंतर्गत रखा जाएगा।
- **सुधारात्मक कार्रवाई**: एक बार जब एक एनबीएफसी को पीसीए के अंतर्गत रखा जाता है, तो यह अपनी जोखिम सीमा के आधार पर कुछ अनिवार्य और विवेकाधीन कार्रवाइयों के अधीन होगा। अनिवार्य कार्रवाइयों में शामिल हैं: (i) लाभांश वितरण/लाभ के प्रेषण पर प्रतिबंध, (ii)

प्रमोटरों/शेयरधारकों का इक्विटी में निवेश करना और लीवरेज को कम करना, और (iii) शाखा विस्तार पर प्रतिबंध। विवेकाधीन कार्रवाइयों में शामिल हैं: (i) आरबीआई द्वारा प्रमोटरों/शेयरधारकों को नए प्रबंधन/बोर्ड में लाने की सिफारिश करना, (ii) अधिक पूंजी जुटाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना, (iii) नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के स्टॉक को कम करने के लिए योजना तैयार करना, और (iv) ऋण बाजार से उधारी पर प्रतिबंध।

सेबी ने शेयर जारी करने के फ्रेमवर्क में संशोधन किए

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने सेबी (पूंजी और प्रकटीकरण शर्तों को जारी करना) रेगुलेशन, 2018 में संशोधनों को मंजूरी दी है।[25,26] 2018 के रेगुलेशंस शेयरों के पब्लिक इश्यू के लिए फ्रेमवर्क प्रदान करते हैं। इन संशोधनों को प्राथमिक बाजार सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर अनुमोदित किया गया है। मुख्य परिवर्तनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए फंड**: मौजूदा रेगुलेशंस के अंतर्गत इनीशियल पब्लिक इश्यू (आईपीओ) जारी करने वाली कंपनियां सामान्य कॉरपोरेट उद्देश्य (जीसीपी) के लिए नए इश्यू साइज का 25% तक निर्धारित कर सकती हैं। जीसीपी में ऐसे चिन्हित उद्देश्य शामिल हैं जिनके लिए कोई विशिष्ट राशि आबंटित नहीं की गई है। नवंबर 2021 में जारी एक परामर्श पत्र में सेबी ने कहा था कि कुछ कंपनियां इनऑर्गेनिक ग्रोथ इनीशिएटिव्स के लिए आईपीओ के माध्यम से नए सिरे से धन जुटाने का प्रस्ताव कर रही हैं।[27] जीसीपी के विपरीत, इश्यूअर कंपनी द्वारा इन इनीशिएटिव्स के उद्देश्यों की
- संशोधन इसे बदलने का प्रयास करते हैं ताकि इश्यूअर कंपनियां जीसीपी और भविष्य के इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए जुटाई जा रही राशि के 35% से अधिक को अलग न रख सकें। यह चिन्हित किए गए अधिग्रहण या निवेश लक्ष्य के बिना इनऑर्गेनिक ग्रोथ के प्रस्तावों पर लागू होगा। यदि प्रस्तावित अधिग्रहण या रणनीतिक निवेश उद्देश्य की पहचान की गई है तो यह सीमा लागू नहीं होगी।
- **आईपीओ में शेयर बिक्री**: संशोधन प्री-आईपीओ शेयरहोल्डिंग की बिक्री पर कुछ शर्तें जोड़ते हैं। एक ट्रैक रिकॉर्ड के बिना इश्यूअर द्वारा आईपीओ के मामले में, शेयरधारकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से या कॉन्सर्ट में भाग लेने वाले व्यक्तियों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए गए शेयर, उनकी प्री-इश्यू शेयरहोल्डिंग के 50% से अधिक नहीं होने चाहिए। यह तब लागू होगा जब ऐसे व्यक्तियों के पास प्री-इश्यू शेयरहोल्डिंग का 20% से अधिक हो। यदि प्री-इश्यू शेयरहोल्डिंग 20% से कम है, तो बिक्री के लिए पेश किए गए शेयर ऐसी शेयरहोल्डिंग के 10% से अधिक नहीं होने चाहिए। ट्रैक रिकॉर्ड के बिना इश्यूअर वे हैं जो सेबी द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा नहीं करते हैं जैसे कि पिछले तीन वर्षों में कम से कम तीन करोड़ रुपये की शुद्ध टैंजिबल संपत्ति और पिछले तीन वर्षों के दौरान कम से कम 15 करोड़ रुपये का औसत परिचालन
- **एंकर निवेशकों के लिए लॉक-इन**: वर्तमान में, एंकर निवेशकों को आबंटित शेयर आबंटन की तारीख से 30 दिनों के लिए लॉक इन होते हैं। एंकर निवेशक पब्लिक इश्यू में विश्वास जगाने के लिए अग्रिम रूप से पैसा लगाते हैं। स्वीकृत संशोधनों के अनुसार एंकर निवेशकों को आबंटित हिस्से का 50% आबंटन की तारीख से 90 दिनों के लिए लॉक इन कर दिया जाएगा। यह 1 अप्रैल 2022 से सभी इश्यूज़ पर लागू होगा।

गैर रणनीतिक सीपीएसईज़ के निजीकरण, बंद करने के लिए दिशानिर्देश जारी

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने गैर-रणनीतिक क्षेत्र में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (पीएसई) नीति के कार्यान्वयन के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं।[28] फरवरी 2021 में नई पीएसई नीति जारी की गई जिसने अधिकांश सीपीएसई को रणनीतिक और गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में वर्गीकृत किया।[29] रक्षा, बैंकिंग, बिजली और पेट्रोलियम कुछ रणनीतिक क्षेत्र थे जबकि शेष क्षेत्रों को गैर-रणनीतिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सीपीएसई का निजीकरण किया जाना है, या उन्हें बंद किया जाना है। इन दिशानिर्देशों की मुख्य विशेषताओं में शामिल हैं:

- **चिन्हित और अनुमोदित करना**: डीपीई बंद करने या निजीकरण के लिए गैर-रणनीतिक क्षेत्रों में सीपीएसई को चिन्हित करेगा। यह निम्नलिखित के परामर्श से तय किया जाएगा: (i) संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग, (ii) नीति आयोग, (iii) व्यय विभाग, और (iv) निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग। चिन्हित करने के बाद डीपीई आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी (सीसीईए) से सैद्धांतिक मंजूरी हासिल करने के लिए एक नोट तैयार करेगा। अगर किसी सीपीएसई को बंद करने के लिए चिन्हित किया जाता है, तो सीसीईए से सैद्धांतिक मंजूरी मिलने के नौ महीने के भीतर प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
- **उपक्रम बंद करने की प्रक्रिया**: संबंधित मंत्रालय/विभाग सीपीएसई को बंद करने के संबंध में काम करेगा। इसमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बंदी को वित्तपोषित करने के लिए आवश्यक बजटीय सहायता का अनुमान, (ii) सीपीएसई की चल और अचल संपत्तियों के रिकॉर्ड को अपडेट करना, और (iii) सुरक्षित लेनदारों, केंद्र सरकार और कर्मचारियों को देय बकाया राशि का अनुमान। औपचारिकताएं पूरी होने के बाद सीपीएसई का निदेशक मंडल कंपनियों के रजिस्टर से अपना नाम हटाने के लिए आवेदन दाखिल करेगा।

सेबी ने रीटेल निवेशकों की एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग पर परामर्श पत्र जारी किया

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने रीटेल निवेशकों द्वारा एल्गोरिदम व्यापार पर एक परामर्श पत्र जारी किया।[30] एल्गोरिदम या एल्गो ट्रेडिंग के अंतर्गत कंप्यूटर लाइव स्टॉक की कीमतों की निगरानी करते हैं और दिए गए मानदंड पूरे होने पर ऑर्डर शुरू करते हैं। निम्नलिखित प्रमुख मुद्दों पर टिप्पणियां आमंत्रित की गई हैं:

- **खुदरा निवेशकों द्वारा एल्गो ट्रेडिंग**: मौजूदा फ्रेमवर्क के अंतर्गत स्टॉक ब्रोकर द्वारा स्टॉक एक्सचेंज से अनुमति प्राप्त करने के बाद एल्गो ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान की जा सकती है। सेबी ने गौर किया कि कई ब्रोकर अपने ग्राहकों को एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) एक्सेस प्रदान कर रहे हैं जो ब्रोकर और क्लाइंट के बीच एक ऑनलाइन कनेक्शन स्थापित करता है। एपीआई एक्सेस निवेशकों को बाजार डेटा का विश्लेषण करने या निवेश रणनीति का परीक्षण करने के लिए थर्ड पार्टी एप्लिकेशंस का उपयोग करने की अनुमति देता है। इन एपीआई का उपयोग निवेशक अपने ट्रेड के ऑटोमेशन के लिए करते हैं।
- यह देखा गया है कि ब्रोकर एक एपीआई से निकलने वाले एल्गो और नॉन-एल्गो ऑर्डर के बीच अंतर नहीं कर पाते हैं। निवेशकों द्वारा थर्ड पार्टी एप्लिकेशंस का उपयोग किया जा रहा है और ऐसे एल्गो को एक्सचेंजों से पूर्व अनुमोदन के बिना तैनात किया जा रहा है। सेबी के आंतरिक कार्य समूह ने प्रस्ताव दिया है कि एपीआई से निकलने वाले सभी ऑर्डर को एल्गो ऑर्डर माना जाना चाहिए और इन्हें स्टॉक ब्रोकर के नियंत्रण के अधीन होना चाहिए। स्टॉक एक्सचेंज को यह सुनिश्चित करना होगा कि केवल उन्हीं एल्गो को तैनात किया जा रहा है जो उनके द्वारा अनुमोदित हैं और उनके द्वारा प्रदान की गई एक विशिष्ट एल्गो पहचान है। स्टॉक ब्रोकर या तो इन-हाउस एल्गो रणनीतियां प्रदान कर सकते हैं या सेवाओं को किसी थर्ड पार्टी के एल्गो प्रोवाइडर/विक्रेता को आउटसोर्स कर सकते हैं।
- **थर्ड पार्टी एल्गो प्रोवाइडर**: [illegible] इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज हैं या नहीं, इस पर स्पष्टता की जरूरत है। चूंकि इन पार्टियों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं की प्रकृति की सीमित समझ है, इसलिए यह प्रस्तावित किया गया है कि ब्रोकर अपने ग्राहकों से एल्गो प्रोवाइडर्स से ली जा रही सेवाओं की प्रकृति और प्रकार का विवरण प्राप्त कर सकते हैं।

परामर्श पत्र पर टिप्पणियां 15 जनवरी, 2022 तक आमंत्रित की गई हैं।

सेबी ने एक कमोडिटी एक एक्सचेंज मॉडल पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने "एक कमोडिटी एक एक्सचेंज" पर एक परामर्श पत्र जारी किया।[31] सेबी ने गौर किया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट कमोडिटी के डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स का कारोबार सिर्फ एक विशेष कमोडिटी एक्सचेंज में लिक्विड कॉन्ट्रैक्ट (जिसे आसानी से कारोबार किया जा सकता है) के रूप में किया जाता है। डेरिवेटिव एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो सिक्योरिटीज़ और कमोडिटी जैसी अंडरलाइंग एसेट से अपना मूल्य प्राप्त करता है। सेबी ने गौर किया कि भारत को कमोडिटी के खास एक्सचेंज

के यूनिट सेट्स का पता लगाना चाहिए। इससे लिक्विडिटी के फ्रैगमेंटेशन को कम करने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित फ्रेमवर्क की प्रमुख विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पात्र कमोडिटी**: फ्रेमवर्क केवल नैरो एग्री-कमोडिटी के लिए लागू हो सकता है। नैरो एग्री-कमोडिटी ऐसी कमोडिटी होती हैं जिन्हें संवेदनशील या व्यापक वस्तुओं के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है। एक एग्री-कमोडिटी संवेदनशील होती है, अगर उसे लगातार सरकारी/बाहरी दखल का सामना करना पड़ता है या पिछले पांच वर्षों के डेरिवेटिव ट्रेडिंग में उसे प्राइज मैन्यूपुलेशन का लगातार सामना करना पड़ा हो। एक एग्री कमोडिटी को व्यापक रूप में वर्गीकृत किया जाता है अगर यह एक संवेदनशील वस्तु नहीं है और पिछले पांच वर्षों में कम से कम 5,000 करोड़ रुपये के मूल्य के साथ उसकी कम से कम 10 लाख मीट्रिक टन की औसत डेलिवेरेबल सप्लाई है। नॉन एग्री कमोडिटी के मामले में फ्रेमवर्क कुछ स्थितियों में लागू नहीं होता, जहां भारत: (i) कमोडिटी का प्रमुख उत्पादक नहीं है, या (ii) अंतरराष्ट्रीय कीमतों का प्राइज टेकर है।
- **कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट विकसित करना**: एक्सचेंज सेबी के साथ एक कमोडिटी को ब्लॉक करने का विकल्प चुन सकते हैं, अगर यह एक विशेष कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट (डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट) के विकास के योग्य है। इसके बाद एक्सचेंज को प्रस्तावित कमोडिटी के विस्तृत शोध और विश्लेषण के लिए एक महीने का समय मिलेगा और एक फीजिबल रिपोर्ट साझा करके ब्लॉक की पुष्टि की जाएगी। अगर कोई एक्सचेंज एक महीने के भीतर ब्लॉक की पुष्टि नहीं करता है, तो इसे स्वचालित रूप से जारी किया जाएगा। उत्पाद अनुमोदन के लिए आवेदन ब्लॉक की पुष्टि के छह महीने के भीतर प्रस्तुत किया जाना है। एक्सचेंज को सेबी की मंजूरी की तारीख से तीन से पांच साल के लिए कमोडिटी एक्सक्लूसिविटी का दर्जा प्राप्त होगा।

प्रस्तावित फ्रेमवर्क पर 6 जनवरी, 2022 तक टिप्पणियां आमंत्रित हैं।

विधि एवं न्याय

Shubham Dutt (shubham@prsindia.org)

आधार से मतदाता सूची के डेटा को लिंक करने वाला बिल संसद में पारित

चुनाव कानून (संशोधन) बिल, 2021 को संसद में पारित कर दिया गया।[32] बिल चुनावी सुधारों को लागू करने के लिए जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1950 और जन प्रतिनिधित्व एक्ट, 1951 में संशोधन करता है।[33,34] 1950 का एक्ट चुनावों के लिए सीटों के आबंटन और निर्वाचन क्षेत्रों के सीमांकन, मतदाताओं की अहर्ता (क्वालिफिकेशंस) और मतदाता सूची की तैयारी से संबंधित प्रावधान करता है। 1951 के एक्ट में चुनाव कराने तथा चुनावों से संबंधित अपराध और विवादों से जुड़े प्रावधान हैं। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **आधार से मतदाता सूची को लिंक करना**: 1950 के एक्ट में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में अपने नाम को शामिल करने के लिए चुनाव पंजीकरण अधिकारी को आवेदन कर सकता है। बिल कहता है कि चुनाव पंजीकरण अधिकारी किसी व्यक्ति से कह सकता है कि अपनी पहचान साबित करने के लिए वह अपना आधार नंबर उपलब्ध कराए। अगर उनका नाम पहले से मतदाता सूची में है तो उस सूची में प्रविष्टियों के प्रमाणीकरण के लिए आधार नंबर की जरूरत हो सकती है। अगर कोई व्यक्ति उपयुक्त कारणों से, जिन्हें निर्दिष्ट किया जाएगा, अपना आधार नंबर नहीं देता, तो उसे मतदाता सूची में शामिल करने से इनकार नहीं किया जा सकता, या उनका नाम मतदाता सूची से हटाया नहीं जा सकता। ऐसे लोगों को वैकल्पिक दस्तावेज देने की अनुमति दी जा सकती है जिन्हें केंद्र सरकार निर्दिष्ट करेगी।
- **मतदाता सूची में नामांकन के लिए पात्रता तिथि**: 1950 के एक्ट के अंतर्गत जिस वर्ष मतदाता सूची तैयार या संशोधित की जा रही है, उस वर्ष की 1 जनवरी को नामांकन की पात्रता तिथि माना जाता है। बिल इसमें संशोधन करता है और एक कैलेंडर वर्ष में चार पात्रता तिथियों का प्रावधान करता है (यानी 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर)।
- **चुनावी उद्देश्यों के लिए परिसर की मांग**: 1951 के एक्ट में राज्य सरकार को यह अनुमति दी गई है कि वे ऐसे परिसरों की मांग कर सकती हैं, जहां मतदान केंद्र बनाना है या बनाने की संभावना है, या जहां चुनाव होने के बाद मत पेटी रखनी है या रखने की संभावना है। बिल उन उद्देश्यों का

विस्तार करता है जिनके लिए परिसरों की मांग की जा सकती है। इनमें मतगणना, वोटिंग मशीन और चुनाव संबंधी सामग्री रखने और सुरक्षा बलों एवं मतदान कर्मियों के रहने के लिए परिसर का उपयोग शामिल है।

- **जेंडर-न्यूट्रल प्रावधान**: बिल 1950 और 1951 के एक्ट्स के कुछ प्रावधानों को जेंडर न्यूट्रल बनाता है। जैसे 1951 के एक्ट के अंतर्गत सर्विस क्वालिफिकेशन वाले व्यक्ति (जैसे सशस्त्र सेनाओं के सदस्य) की पत्नी व्यक्तिगत रूप से या पोस्टल बैलट के जरिए मतदान कर सकती है। बिल दोनों एक्ट्स में 'पत्नी' की जगह 'स्पाउस' शब्द को रिप्लेस करता है।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अतिरिक्त पेंशन की आयु स्पष्ट करने वाला बिल संसद में पारित

उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्त) संशोधन बिल, 2021 संसद में पारित कर दिया गया।[35] बिल निम्नलिखित में संशोधन का प्रयास करता है: (i) उच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्त) एक्ट, 1954 और (ii) सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश (वेतन एवं सेवा शर्त) एक्ट, 1958।[36,37] ये कानून भारत के उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और सेवा की शर्तों को रेगुलेट करते हैं।

एक्ट्स के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के सभी रिटायर्ड न्यायाधीश और उनके परिवार के सदस्य पेंशन या फैमिली पेंशन के हकदार होते हैं। उन्हें एक निर्दिष्ट पैमाने के अनुसार एक निश्चित आयु प्राप्त करने पर पेंशन या फैमिली पेंशन की अतिरिक्त राशि भी मिलती है। इस पैमाने में पांच आयु वर्ग हैं (न्यूनतम 80, 85, 90, 95 और 100 वर्ष) और आयु के साथ अतिरिक्त राशि बढ़ती जाती है (पेंशन या फैमिली पेंशन के 20% से 100%)। बिल स्पष्ट करता है कि व्यक्ति अतिरिक्त पेंशन या फैमिली पेंशन का उस महीने की पहली तारीख से ही हकदार हो जाएगा, जिस महीने में वह संबंधित आयु वर्ग के अंतर्गत न्यूनतम आयु का हो रहा होगा।

उल्लेखनीय है कि 2018 और 2020 में दो उच्च न्यायालयों के आदेश के बाद यह बिल लाया गया। बिल इस विधायी मंतव्य को स्पष्ट करता है कि रिटायर होने वाले न्यायाधीश को उस महीने की पहली तारीख से अतिरिक्त राशि का लाभ मिले, जिसमें वह संबंधित आयु वर्ग की न्यूनतम आयु प्राप्त कर रहा हो, न कि उस उम्र में प्रवेश करने की पहली तारीख को, जैसा कि उच्च न्यायालयों ने व्याख्या की थी।

बिल के पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

मध्यस्थता को बढ़ावा देने वाला बिल राज्यसभा में पेश किया गया

राज्यसभा में मध्यस्थता बिल, 2021 पेश किया गया।[38] मध्यस्थता एक किस्म का वैकल्पिक विवाद समाधान (एडीआर) होता है जिसमें एक स्वतंत्रत व्यक्ति (मध्यस्थ) की सहायता से विभिन्न पक्ष अपने विवादों को निपटाने का प्रयास करते हैं (अदालत के बाहर)। बिल मध्यस्थता (ऑनलाइन मध्यस्थता सहित) को बढ़ावा देने का प्रयास करता है तथा मध्यस्थता समझौते के परिणामस्वरूप निपटारे को लागू करने का प्रावधान करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवाद**: जो विवाद मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त हैं, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) नाबालिगों या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों के खिलाफ दावों से संबंधित, (ii) क्रिमिल अपराध के प्रॉसीक्यूशन से जुड़े हुए, (iii) तीसरे पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करने वाले, और (iv) करों की वसूली या कलेक्शन से संबंधित। केंद्र सरकार विवादों की इस सूची में संशोधन कर सकती है।
- **मध्यस्थता की प्रक्रिया**: मध्यस्थता की प्रक्रिया गोपनीय होगी। पहले दो सत्रों के बाद कोई पक्ष मध्यस्थता से हट सकता है। मध्यस्थता की प्रक्रिया 180 दिनों में खत्म होनी चाहिए (इसके बावजूद कि विभिन्न पक्ष किसी समझौते पर नहीं पहुंचते) जोकि विभिन्न पक्षों द्वारा 180 दिनों तक और बढ़ाई जा सकती है।
- **मध्यस्थ**: विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थ विभिन्न पक्षों की सिर्फ सहायता करेंगे, और वे उन पर उस समझौते को थोप नही सकते। मध्यस्थों को निम्नलिखित द्वारा नियुक्त किया जा सकता है: (i) आपसी रजामंदी से पक्षों द्वारा, या (ii) मध्यस्थता सेवा प्रदाता (मध्यस्थता का संचालन करने वाली संस्था) द्वारा। मध्यस्थों को हितों के किसी टकराव का खुलासा करना चाहिए जोकि उनकी स्वतंत्रता पर संदेह पैदा करता हो। तब पक्ष उसे बदलने का विकल्प चुन सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार द्वारा स्थापित भारतीय मध्यस्थता परिषद

मध्यस्थों का पंजीकरण करेगी और मध्यस्थता सेवा प्रदाताओं को मान्यता देगी।

- **मध्यस्थता समझौता करार**: मध्यस्थता के परिणामस्वरूप समझौते लिखित में होने चाहिए, उन पर सभी पक्षों के हस्ताक्षर होने चाहिए और मध्यस्थ द्वारा प्रमाणित होने चाहिए। ऐसे करार अंतिम, बाध्यकारी होंगे और अदालती फैसलों की तरह लागू होंगे (सिवाय सामुदायिक मध्यस्थता के अंतर्गत हुए करारों को छोड़कर)। मध्यस्थता समझौता करार (अदालत द्वारा मध्यस्थता के लिए भेजे गए मामलों पर हुए करार या लोक अदालत या स्थायी लोक अदालत द्वारा कराए गए करार) को सिर्फ निम्नलिखित आधार पर चुनौती दी जा सकती है: (i) धोखाधड़ी, (ii) भ्रष्टाचार, (iii) प्रतिरूपण (इनपर्सोनेशन), या (iv) मध्यस्थता के लिए अनुपयुक्त विवादों से संबंधित।

बिल कार्मिक, जन शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी स्टैंडिंग कमिटी को भेज दिया गया है। बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

ड्राफ्ट नोटरीज़ (संशोधन) बिल, 2021 परामर्श के लिए जारी किया गया

विधि एवं न्याय मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटरीज़ (संशोधन) बिल, 2021 को परामर्श के लिए जारी किया।[39,40] ड्राफ्ट बिल नोटरीज़ एक्ट, 1952 में संशोधन का प्रस्ताव रखता है।[41] एक्ट नोटरीज़ के पेशे को रेगुलेट करता है। नोटरीज़ वे व्यक्ति होते हैं जोकि कुछ कानूनी औपचारिकताओं (जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स, डीड्स और दूसरे दस्तावेजों के सत्यापन को अटेस्ट या सर्टिफाई करना) को करने के लिए अधिकृत होते हैं। ड्राफ्ट बिल में प्रस्तावित मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **नोटरीज़ के कार्यकाल को सीमित करना**: एक्ट के अंतर्गत केंद्र या राज्य सरकार नोटरी नियुक्ति कर सकती है। नोटरी के तौर पर प्रैक्टिस करने के इच्छुक व्यक्ति को सर्टिफिकेट दिया जा सकता है कि वह सर्टिफिकेट जारी होने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रैक्टिस कर सकता है। इसके अतिरिक्त नोटरी को नियुक्त करने वाली सरकार प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट को एक बार में पांच वर्ष की अवधि के लिए रीन्यू कर सकती है। ड्राफ्ट बिल में प्रस्ताव है कि नोटरीज़ के प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट को दो कार्यकाल तक रीन्यू किया जा सकता है, जिसका मतलब है, 15 वर्ष तक का कार्यकाल (यानी पांच साल का शुरुआती कार्यकाल और फिर पांच-पांच वर्ष के दो रीन्यूअल)।
- **दुर्व्यवहार करने के लिए सर्टिफिकेट सस्पेंड**: एक्ट में प्रावधान है कि केंद्र और राज्य सरकार नियुक्त किए गए नोटरीज़ का रजिस्टर रखेंगी। अगर जांच करने पर कोई नोटरी कुछ खास किस्म के दुर्व्यवहार का अपराधी पाया जाता है तो सरकार रजिस्टर से उसका नाम हटा सकती है। ड्राफ्ट बिल संबंधित सरकार को यह अधिकार देता है कि अगर यह मानने का कारण है कि नोटरी किसी पेशेवर या दूसरे दुर्व्यवहार में संलग्न है तो वह प्रैक्टिस का सर्टिफिकेट सस्पेंड कर सकती है। यह सस्पेंशन उस अवधि के लिए हो सकता है, जिसे जांच के लिए उपयुक्त अवधि माना जाए।
- **नोटरी के काम का डिजिटलीकरण**: ड्राफ्ट बिल एक्ट में एक नए प्रावधान की प्रविष्टि का प्रस्ताव रखता है। इसमें नोटरीज़ से यह अपेक्षित है कि वे डिजिटल फॉरमैट में रिकॉर्ड रखेंगे।

कार्मिक

प्रवर्तन निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने वाला बिल संसद में पारित

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) बिल, 2021 को संसद में पारित कर दिया गया।[42] यह केंद्रीय सतर्कता आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का स्थान लेता है।[43] बिल केंद्रीय सतर्कता आयोग एक्ट, 2003 में संशोधन करने का प्रयास करता है।[44]

एक्ट के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशक की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा एक कमिटी (केंद्रीय सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में) के सुझाव के आधार पर न्यूनतम दो वर्ष के लिए की जाती है। बिल कहता है कि निदेशक का कार्यकाल नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से पांच वर्ष पूरे होने तक एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

सीबीआई निदेशक का कार्यकाल बढ़ाने वाला बिल संसद में पारित

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट (संशोधन) बिल, 2021 को संसद में पारित कर दिया गया।[45] यह दिल्ली

स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट (संशोधन) अध्यादेश, 2021 का स्थान लेता है।[46] बिल दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टैबलिशमेंट एक्ट, 1946 में संशोधन करता है।[47] एक्ट के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा एक कमिटी (प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में) के सुझाव के आधार पर न्यूनतम दो वर्ष की अवधि क लिए सीबीई के निदेशक की नियुक्ति का प्रावधान है। बिल कहता है कि निदेशक का कार्यकाल नियुक्ति की प्रारंभिक तारीख से पांच वर्ष पूरे होने तक एक बार में एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया [देखें](#)।

पेंशनभोगियों की शिकायतों पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: सुशील कुमार मोदी) ने 'पेंशनभोगियों की शिकायतें- पेंशन अदालतों के प्रभाव और केंद्रीयकृत पेंशनभोगी शिकायत निवारण एवं निरीक्षण प्रणाली (सीपेनग्राम्स)' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[48] 31 मार्च, 2020 तक भारत में केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों (इसमें फैमिली पेंशनभोगी शामिल हैं) की संख्या लगभग 66.7 लाख थी। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्न शामिल हैं:

- **सीपेनग्राम्स**: सीपेनग्राम्स पेंशनभोगियों की पेंशन संबंधी शिकायतों का शीघ्र निवारण और प्रभावी निरीक्षण करने वाली एक प्रणाली है। पेंशनभोगी पेंशन संगठनों के जरिए ऑनलाइन या डाक से अपनी शिकायतें जमा कर सकते हैं। कमिटी ने कहा कि ऐसी लगभग 20% शिकायतों को 60 दिनों की निर्धारित अवधि में निस्तारित नहीं किया जाता। जिन मामलों की शिकायतें सबसे ज्यादा होती हैं (सीपेनग्राम्स पर दर्ज होने वाली अधिसंख्य शिकायतें यही होती हैं), उनमें पेंशन में देरी या सही पेंशन मंजूर न होना, और पेंशन के एरियर का भुगतान न होना है। कमिटी ने शिकायत निवारण तंत्र को कारगर बनाने के लिए सोशल ऑडिट पैनल बनाने का सुझाव दिया। उसने यह सुझाव भी दिया कि क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया को शामिल किया जाए। साथ ही पेंशन की मंजूरी, प्रोसेसिंग और वितरण में शामिल एजेंसियों को अपने सिस्टम को सुव्यवस्थित करने का सुझाव दिया ताकि प्राप्त होने वाली शिकायतों की संख्या को कम किया जा सके।
- **अतिरिक्त पेंशन**: कमिटी ने कहा कि वर्तमान में पेंशनभोगी 80 वर्ष का होने पर मूल पेंशन के 20% के बराबर की अतिरिक्त पेंशन राशि प्राप्त करने, 85 वर्ष का होने पर 30%, 90 वर्ष का होने पर 40%, 95 वर्ष का होने पर 50%, और 100 वर्ष पार करने पर 100% की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। कमिटी ने कहा कि इसका दायरा बढ़ाया जाए और इसके अंतर्गत 65 वर्ष का होने पर 5%, 70 वर्ष का होने पर 10%, 75 वर्ष का होने पर 15% की अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाए।
- **मेडिकल सुविधाएं**: कमिटी ने कहा कि केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (सीजीएचएस) कुछ राज्यों की राजधानियों और बड़े शहरी केंद्रों तक सीमित है। सीजीएचएस के क्षेत्र से बाहर रहने वाले पेंशनभोगियों को दिन-प्रतिदिन के मेडिकल खर्चे के लिए हर माह 1,000 रुपए का एक निश्चित मेडिकल भत्ता दिया जाता है। कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) जिले में किन्हीं जगहों सीजीएचएस केंद्र खोलना या जिला मुख्यालयों के सरकारी अस्पतालों को सीजीएचएस केंद्रों के रूप में नामित करना, और (ii) पेंशनभोगियों के लिए निश्चित मेडिकल भत्ता बढ़ाकर 3,000 रुपए हर महीने करना।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया [देखें](#)।

सरकार के शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने पर रिपोर्ट सौंपी गई

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: सुशील कुमार मोदी) ने 'भारत सरकार के शिकायत निवारण तंत्र की मजबूती' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[49] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्न शामिल हैं:

- **शिकायत निवारण**: किसी संगठन का शिकायत निवारण तंत्र उसके प्रभाव का आकलन करने का एक महत्वपूर्ण तरीका होता है, चूंकि उससे संगठन के कामकाज पर फीडबैक मिलता है। कमिटी ने कहा कि कई विभागों में शिकायतों का निपटान इस तरह किया जा रहा है कि दूसरी एजेंसी या अधीनस्थ कार्यालय से संपर्क करने के सुझाव दिए जा रहे हैं। कुछ मामलों में शिकायत को उसी एजेंसी को वापस भेजा जा रहा है, जिसके खिलाफ शिकायत की गई थी। इसके अतिरिक्त कमिटी ने जानकारी दी कि

प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) ने मंत्रालयों को शिकायत के क्लोजर के वैध कारण बताने का निर्देश दिया है। हालांकि कई मामलों में मंत्रालयों ने शिकायत के क्लोजर के कोई वैध कारण नहीं बताए। कमिटी ने सभी मंत्रालयों को सुझाव दिया कि वे शिकायत निवारण के संबंध में डीएआरपीजी के निर्देशों का पालन करें।

- **शिकायतों का निपटान**: कमिटी ने कहा कि मंत्रालयों और अन्य संगठनों में शिकायतों को निपटाने के फ्रेमवर्क, प्रक्रिया और क्षमता अलग-अलग हैं। प्रशासन नागरिकों का हितैषी बने, इसके लिए शिकायतों को समय पर निपटाना जरूरी है। कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालयों की शिकायत निपटान प्रक्रिया की समूची समीक्षा/मूल्यांकन किया जाए।
- **केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निरीक्षण प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस)**: सीपीजीआरएएमएस एक ऑनलाइन पोर्टल है जिस पर आम लोग विभिन्न अथॉरिटीज़ के खिलाफ अपनी शिकायतों को दर्ज कर सकते हैं। इन शिकायतों को संबंधित मंत्रालय और राज्य सरकार को भेज दिया जाता है। डीएआरपीजी सीपीजीआरएएमएस के कामकाज का लगातार मूल्यांकन करता है और पोर्टल में सुधार करता है। कमिटी ने कहा कि पोर्टल में सुधार करने के दौरान इसमें कुछ बातों को शामिल किया जाना चाहिए। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) प्रभावी संवाद के लिए चैनल्स शुरू करना, (ii) पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाना, और (iii) सुधार प्रक्रिया में प्रोफेशनल्स को शामिल करना।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

महिला एवं बाल विकास

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में पेश

लोकसभा में बाल विवाह निषेध (संशोधन) बिल, 2021 पेश किया गया।[50] बिल महिलाओं के विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाने के लिए बाल विवाह निषेध एक्ट, 2006 में संशोधन करता है।[51] बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाना**: एक्ट में प्रावधान है कि पुरुषों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। बिल महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष करता है। बिल विवाह संबंधी कुछ अन्य कानूनों में भी संशोधन करता है ताकि उन कानूनों में महिलाओं की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 21 वर्ष किया जा सके। ये कानून हैं: (i) भारतीय ईसाई विवाह एक्ट, 1872, (ii) पारसी विवाह एवं तलाक एक्ट, 1936, (iii) विशेष विवाह एक्ट, 1954, (iv) हिंदू विवाह एक्ट, 1955, और (v) विदेश विवाह एक्ट, 1969। बिल यह भी कहता है कि अगर किसी कानून या प्रथा, रूढ़ि (जोकि विवाह से संबंधित पक्षों को नियंत्रित करती हैं), का एक्ट से अंतर्विरोध होता है तो उस स्थिति में एक्ट ही लागू होगा।
- **बाल विवाह को खत्म करने के लिए याचिका दायर करने की समय अवधि**: एक्ट के अंतर्गत बाल विवाह का मतलब यह है कि जिसमें विवाह का कोई भी एक पक्ष बच्चा हो (यानी विवाह की न्यूनतम आयु से कम आयु वाला)। एक्ट में प्रावधान है कि बाल विवाह को उस पक्ष द्वारा खत्म किया जा सकता है जो विवाह के समय बच्चा था। वह पक्ष विवाह को खत्म करने के आदेश के लिए जिला अदालत में याचिका दायर कर सकता है। उस पक्ष को बालिग होने के दो वर्ष के अंदर यह याचिका दायर करनी होती है (यानी 20 वर्ष का पूरा होने से पहले)। बिल इसमें संशोधन करता है और कहता है कि उस पक्ष को बालिग होने के पांच वर्ष के भीतर यह याचिका दायर करनी होगी (यानी 23 वर्ष का पूरा होने से पहले)।

बिल को शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेल संबंधी स्टैंडिंग कमिटी को भेजा गया है। बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

पर्यावरण

Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)

वन्य जीव (संरक्षण) एक्ट, 1971 में संशोधन करने वाला बिल लोकसभा में पेश

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने लोकसभा में वन्य जीव (संरक्षण) संशोधन बिल, 2021 पेश किया।[52] बिल वन्य जीव (संरक्षण) एक्ट, 1972 में संशोधन करता है। एक्ट वन्य प्राणियों, पक्षियों और पौधों के संरक्षण को रेगुलेट करता है।[53] बिल कानून के अंतर्गत संरक्षित प्रजातियों को बढ़ाने, और वन्य जीवों तथा वनस्पतियों की संकटग्रस्त प्रजातियों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर

केंद्रित कन्वेंशन (साइट्स) को लागू करने का प्रयास करता है।[52] बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **साइट्स का कार्यान्वयन**: साइट्स (या सीआईटीईएस) सरकारों के बीच एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो यह सुनिश्चित करती है कि वन्य प्राणियों और पौधों के नमूनों के अंतरराष्ट्रीय व्यापार से उन प्रजातियों के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं होगा।[54] साइट्स के अंतर्गत पौधों और पशु नमूनों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत (अनुलग्नक) किया गया है जोकि उनके लुप्तप्राय होने के जोखिम पर आधारित है। कन्वेंशन के अंतर्गत सभी देशों से यह अपेक्षित है कि वे परमिट के जरिए सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को रेगुलेट करेंगे। इसके अलावा कन्वेंशन जीवित पशुओं के नमूनों के कब्जे को भी रेगुलेट करने का प्रयास करता है। बिल साइट्स के इन विधानों को लागू करने का प्रयास करता है।
- **अनुसूचियों का पुनर्गठन**: वर्तमान में एक्ट में विशेष रूप से संरक्षित पौधों (एक), विशेष रूप से संरक्षित पशुओं (चार) और वर्मिन्स (एक) की छह अनुसूचियां हैं। वर्मिन ऐसे छोटे जानवर होते हैं जो बीमारियां लाते हैं और भोजन को बर्बाद करते हैं। बिल निम्नलिखित के जरिए इन अनुसूचियों की संख्या को घटाकर चार करता है: (i) विशेष रूप से संरक्षित पशुओं की अनुसूचियो की संख्या दो करके (अधिक संरक्षित स्तर के पशुओं की एक अनुसूची), (ii) वर्मिन प्रजातियों की अनुसूची को हटाकर, और (iii) कन्वेंशन के परिशिष्टों में दर्ज नमूनों की एक अनुसूची को संलग्न करके (अनुसूचित नमूने)।
- **साइट्स के अंतर्गत बाध्यताएं**: बिल में प्रावधान है कि केंद्र सरकार निम्नलिखित निर्दिष्ट करेगी: (i) मैनेजमेंट अथॉरिटी- यह नमूनों के व्यापार के लिए निर्यात या आयात परमिट देगी, (ii) साइंटिफिक अथॉरिटी- यह उन नमूनों के अस्तित्व पर होने वाले प्रभावों के संबंध में सलाह देगी जिनका व्यापार किया जा रहा है। अनुसूचित नमूनों के व्यापार में संलग्न प्रत्येक व्यक्ति को लेनदेन का विवरण मैनेजमेंट अथॉरिटी को देना होगा। साइट्स के अनुसार, मैनेजमेंट अथॉरिटी नमूने के लिए एक पहचान चिन्ह इस्तेमाल कर सकती है। बिल नमूने पर लगे पहचान चिन्ह में बदलाव करने या उसे हटाने पर प्रतिबंध लगाता है। इसके अतिरिक्त जिन लोगों के कब्जे में अनुसूचित पशुओं के जीवित नमूने हैं, उन्हें मैनेजमेंट अथॉरिटी से पंजीकरण का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा।

बिल विज्ञान एवं तकनीक, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी स्टैंडिंग कमिटी को भेजा गया है। बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

जैव विविधता एक्ट, 2002 में संशोधन करने वाला बिल पेश किया गया और ज्वाइंट कमिटी को भेजा गया

जैव विविधता (संशोधन) बिल, 2021 को लोकसभा में पेश किया।[55] बिल जैव विविधता एक्ट, 2002 में संशोधन करता है। एक्ट में जैव विविधता के संरक्षण, उसके घटकों के सतत उपयोग और जैविक संसाधनों के उपयोग से प्राप्त होने वाले लाभों के निष्पक्ष एवं समतामूलक बंटवारे के प्रावधान हैं।[56] बिल शोध और पेटेंट के आवेदनों को सरल बनाने, वन्य औषधीय पौधों की उपज को प्रोत्साहित करने, तथा देसी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने का प्रयास करता है।[55] बिल में प्रस्तावित मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **जैविक संसाधनों तक पहुंच और बौद्धिक संपदा अधिकार (आईपीआर)**: एक्ट में राष्ट्रीय जैवविविधता अथॉरिटी (एनबीए) का प्रावधान है जोकि जैविक संसाधनों तक पहुंच तथा इन संसाधनों पर शोध परिणामों के साझाकरण को रेगुलेट करती है। जैविक संसाधनों में पौधे, पशु, सूक्ष्मजीव या उनके जेनेटिक मैटीरियल शामिल होते हैं जिन्हें मनुष्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है या वे उनके लिए कीमती होते हैं (लेकिन इनमें ह्यूमन जेनेटिक मैटीरियल शामिल नहीं)। कुछ एंटिटीज़ को जैविक संसाधनों को हासिल करने और आईपीआर के लिए आवेदन करने से पहले एनबीए से मंजूरी लेनी होगी। इन एंटिटीज़ में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) गैर निवासी, (ii) अनिवासी नागरिक, (iii) संगठन जो भारत में पंजीकृत नहीं हैं, और (iv) भारत में पंजीकृत संगठन, जिसमें गैर भारतीय शेयरहोल्डिंग या मैनेजमेंट है। बिल भारत में पंजीकृत किसी भी विदेशी नियंत्रित कंपनी की आखिरी श्रेणी में संशोधन करता है। बिल यह प्रावधान भी करता है कि इन चार श्रेणियों के आवेदकों को आईपीआर मिलने से पहले एनबीए से मंजूरी हासिल करनी होगी (फिलहाल आईपीआर के लिए आवेदन करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेनी होती है)।
- एक्ट के अंतर्गत राज्य सरकारें राज्य जैवविविधता बोर्ड (एसएसबी) का गठन करती हैं। ये बोर्ड राज्य

सरकारों को जैवविविधता के संरक्षण के संबंध में सलाह देते हैं। भारतीय नागरिक और भारत में पंजीकृत संगठनों को कमर्शियल इस्तेमाल के लिए किसी जैविक संसाधन को हासिल करने से पहले एसएसबी को सूचना देनी चाहिए। उन्हें आईपीआर के लिए आवेदन करने से पहले एनबीए की मंजूरी लेनी चाहिए। बिल इसमें संशोधन करता है और प्रावधान करता है कि जिन्हें जैविक संसाधनों तक पहुंच के लिए एनबीए से मंजूरी की जरूरत न हो, उन्हें संबंधित एसएसबी को पूर्व सूचना देनी होगी। इसके अतिरिक्त उन्हें: (i) आईपीआर मिलने से पहले एनबीए में पंजीकरण कराना होगा, और (ii) उस आईपीआर को कमर्शियलाइज करने से पहले एनबीए से मंजूरी लेनी होगी।

बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमिटी के पास भेज दिया गया है। बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

जल संसाधन

बांध सुरक्षा बिल, 2019 संसद में पारित

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

बांध सुरक्षा बिल, 2019 को संसद में पारित कर दिया गया।[57] बिल देश भर में निर्दिष्ट बांधों की चौकसी, निरीक्षण, परिचालन और रखरखाव संबंधी प्रावधान करता है।[57] बिल इन बांधों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संस्थागत प्रणाली का भी प्रावधान करता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **बिल किन बांधों पर लागू होता है**: बिल देश के सभी निर्दिष्ट बांधों पर लागू होता है। इन बांधों में निम्नलिखित शामिल हैं : (i) 15 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले, या (ii) 10 से 15 मीटर के बीच की ऊंचाई वाले केवल वही बांध जिनके डिजाइन और स्ट्रक्चर बिल में निर्दिष्ट विशेषताओं वाले हों।
- **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमिटी**: बिल राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमिटी की स्थापना का प्रावधान करता है। कमिटी की अध्यक्षता केंद्रीय जल आयोग के चेयरपर्सन द्वारा की जाएगी। दूसरे सदस्यों को केंद्र सरकार द्वारा नामित किया जाएगा और उनमें निम्नलिखित शामिल हैं: (i) केंद्र सरकार के अधिकतम 10 प्रतिनिधि, (ii) राज्य सरकार के अधिकतम सात प्रतिनिधि (रोटेशन द्वारा), और (iii) अधिकतम तीन बांध सुरक्षा विशेषज्ञ।
- कमिटी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) बांध सुरक्षा मानदंडों से संबंधित नीतियां एवं रेगुलेशंस बनाना तथा बांधों में टूट को रोकना, और (ii) बड़े बांधों में टूट के कारणों का विश्लेषण करना एवं बांध सुरक्षा प्रणालियों में बदलाव का सुझाव देना।
- **राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अथॉरिटी**: बिल राष्ट्रीय बांध सुरक्षा अथॉरिटी का प्रावधान करता है। इस अथॉरिटी का प्रमुख एडिशनल सेक्रेटरी से नीचे के स्तर का अधिकारी नहीं होगा जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। अथॉरिटी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) राष्ट्रीय बांध सुरक्षा कमिटी द्वारा निर्मित नीतियों को लागू करना, (ii) राज्य बांध सुरक्षा संगठनों (एसडीएसओज़) के बीच, और एसडीएसओ एवं उस राज्य के किसी बांध मालिक के बीच विवादों को सुलझाना, (iii) बांधों के निरीक्षण और जांच के लिए रेगुलेशंस को निर्दिष्ट करना, और (iv) बांधों के निर्माण, डिजाइन और उनमें परिवर्तन पर काम वाली एजेंसियों को एक्रेडेशन देना।

बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

कैग ने भूजल प्रबंधन और रेगुलेशन पर अपनी रिपोर्ट जारी की

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने दिसंबर 2021 में 'भूजल प्रबंधन और रेगुलेशन' पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी की।[58] रिपोर्ट 2013-18 की अवधि के दौरान 33 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेश (अंडमान निकोबार द्वीपसमूह, मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर) भूजल प्रबंधन और रेगुलेशन के ऑडिट प्रदर्शन के निष्कर्ष प्रस्तुत करती है। यह भूजल प्रबंधन पर योजनाओं के कार्यान्वयन का भी मूल्यांकन करती है। कैग के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **भूजल स्तर**: भारत में भूजल निकासी (या निष्कर्षण) का स्तर (रिचार्ज बनाम भूजल उपयोग का अनुपात) 2004 में 58% से बढ़कर 2017 में 63% हो गया। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में निकासी का स्तर 100% से भी ज्यादा है। यह इसका बात का संकेत है कि भूजल निकासी की मात्रा उसके रिचार्ज (दोबारा भरने) से ज्यादा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर इसकी जांच नहीं की गई तो इन राज्यों में भूजल संसाधन पूरी तरह से शून्य हो जाएंगे।

- **भूजल पर कानून**: जल राज्य का विषय है, इसलिए भूजल के रेगुलेशन और विकास संबंधी कानून राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा लागू किए जाते हैं। विभाग ने भूजल के रेगुलेशन और विकास के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में भूजल (रेगुलेशन और विकास एवं प्रबंधन नियंत्रण) बिल, 2005 सर्कुलेट किया था जोकि एक मॉडल बिल था। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर 2019 तक 33 में से 19 राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने भूजल पर कानून लागू किए। इनमें से चार राज्यों में कानून सिर्फ आंशिक रूप से लागू हुआ। कैग ने सुझाव दिया कि विभाग को दूसरे राज्यों को भी इस बात के लिए तैयार करना चाहिए कि भूजल प्रबंधन के लिए कानून/रेगुलेशन लेकर आएं।
- 2017 में मॉडल बिल की समीक्षा के लिए विभाग ने एक कमिटी बनाई। हालांकि दिसंबर 2019 तक नीति आयोग के सुझावों के अनुसार बिल की समीक्षा की जा रही थी। कैग ने सुझाव दिया कि विभाग को मॉडल बिल के संशोधन में तेजी लानी चाहिए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

पीएमकेएसवाई जारी रहेगी

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमिटी (सीसीईए) ने 2021-26 के दौरान प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को जारी रखने को मंजूरी दे दी है।[59] यह योजना पहले 2015-20 के लिए लागू थी।[60] फिर इसे मार्च 2021 तक बढ़ाया गया।[60] 2021-26 के लिए योजना की अनुमानित लागत (उसके तीन घटकों सहित) 93,068 करोड़ रुपए है।

पीएमएसकेवाई एक अंब्रेला योजना है जिसके दो मुख्य घटक हैं, त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम (एआईबीपी) और हर खेत को पानी (एचकेकेपी)। इन्हें जल शक्ति मंत्रालय कार्यान्वित करता है। इसमें वॉटरशेड घटक भी शामिल है जिसे ग्रामीण विकास मंत्रालय के भूसंसाधन विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। पीएमएसकेवाई में कृषि और किसान कल्याण विभाग द्वारा कार्यान्वित प्रति बूंद अधिक फसल योजना भी शामिल है। एआईबीपी, एचकेकेपी और वाटरशेड घटक को 2026 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।

इस योजना के निम्नलिखित लक्ष्य हैं: (i) खेतों में पानी की फिजिकल पहुंच बढ़ाना, (ii) आश्वस्त सिंचाई के अंतर्गत खेती योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, (iii) खेतों में पानी के उपयोग की दक्षता में सुधार करना, और (iv) स्थायी जल संरक्षण प्रथाओं को लागू करना।

कैबिनेट ने नदी प्रॉजेक्ट की केन-बेतवा इंटरलिंकिंग को मंजूर किया

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

केंद्रीय कैबिनेट ने नदी प्रॉजेक्ट की केन-बेतवा इंटरलिंकिंग को मंजूरी दी।[61] प्रॉजेक्ट की लागत 44,605 करोड़ रुपए अनुमानित है (2020-21 के मूल्य स्तर पर)। केंद्र सरकार प्रॉजेक्ट के लिए 36,920 करोड़ रुपए का अनुदान और 3,027 करोड़ रुपए का ऋण देगी और इस प्रॉजेक्ट को आठ वर्षों में पूरा होना प्रस्तावित है। प्रॉजेक्ट के अंतर्गत एक बांध और एक नहर बनाई जाएगी जो दो नदियों को जोड़ेगी। इससे केन नदी से बेतवा नदी में पानी भेजा जाएगा। प्रॉजेक्ट से: (i) मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के 10.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र की वार्षिक सिंचाई होगी, (ii) लगभग 62 लाख लोगों को पीने का पानी मिलेगा, और (iii) 103 मेगावॉट की हाइड्रोपावर और 27 मेगावाट का सोलर पावर उत्पादित होगा।

खेल

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग बिल, 2021 लोकसभा में पेश

राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग बिल, 2021 को लोकसभा में पेश किया गया।[62] बिल खेलों में डोपिंग पर प्रतिबंध लगाने और राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी की स्थापना करने का प्रयास करता है। यह एजेंसी मौजूदा राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी का स्थान लेगी। एथलीट्स खेल प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कुछ प्रतिबंधित पदार्थों का उपभोग करते हैं और इसे डोपिंग कहा जाता है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **डोपिंग पर प्रतिबंध**: बिल एथलीट्स, एथलीट्स के सपोर्ट कर्मचारियों और अन्य लोगों को खेलों में डोपिंग से प्रतिबंधित करता है। सपोर्ट कर्मचारियों में कोच, ट्रेनर, मैनेजर, टीम स्टाफ, मेडिकल कर्मचारी और एथलीट्स के साथ काम करने, उनका उपचार और सहयोग करने वाले अन्य लोग शामिल हैं। इन लोगों को यह सुनिश्चित करना होगा कि एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन नहीं हो रहा, जिनमें

निम्नलिखित शामिल है: (i) एथलीट के शरीर में प्रतिबंधित पदार्थों या उनके मार्कर्स की मौजूदगी, (ii) किसी प्रतिबंधित पदार्थ या पद्धतियों का इस्तेमाल, इस्तेमाल की कोशिश या उनका कब्जे में होना, (iii) सैंपल देने से इनकार करना, (iv) प्रतिबंधित पदार्थ या पद्धतियों की तस्करी या तस्करी की कोशिश, और (v) ऐसे उल्लंघन करने में मदद करना या उसे छिपाना।

- **छूट**: अगर किसी एथलीट को अपनी मेडिकल जरूरत के लिए प्रतिबंधित पदार्थ या पद्धति का उपयोग करना हो तो वह नेशनल एंटी-डोपिंग एजेंसी में थेराप्यूटिक यूज के लिए छूट का आवेदन कर सकता है।
- **उल्लंघन करने का परिणाम**: अगर कोई एथलीट या एथलीट का सपोर्ट कर्मचारी एंटी-डोपिंग नियमों का उल्लंघन करता तो उसके निम्नलिखित परिणाम हो सकते हैं: (i) परिणाम डिस्क्वालिफाई हो सकते हैं जिसमें मेडल, प्वाइंट्स और पुरस्कार को जब्त करना शामिल है, (ii) एक निर्दिष्ट अवधि तक किसी प्रतिस्पर्धा या आयोजन में भाग नहीं ले पाना, (iii) वित्तीय प्रतिबंध, और (iv) अन्य परिणाम, जिन्हें निर्दिष्ट किया जा सकता है। टीम स्पोर्ट्स के परिणामों को रेगुलेशंस के जरिए निर्दिष्ट किया जाएगा। राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग डिसिप्लिनरी पैनल सुनवाई के बाद उल्लंघन के परिणाम निर्धारित करेगी।
- **राष्ट्रीय एंटी-डोपिंग एजेंसी**: एजेंसी के कार्यों में निम्नलिखित शामिल है: (i) एंटी-डोपिंग गतिविधियों की योजना बनाना, उन्हें लागू करना और उनकी निगरानी करना, (ii) एंटी-डोपिंग के नियमों के उल्लंघन की जांच करना, और (iii) एंटी-डोपिंग संबंधी शोध को बढ़ावा देना।

बिल को शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा एवं खेल संबंधी स्टैंडिंग कमिटी को भेजा गया है। बिल पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

स्वास्थ्य

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

अस्सिटेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को रेगुलेट करने वाला बिल संसद में पारित

असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (रेगुलेशन) बिल, 2020 को संसद में पारित कर दिया गया।[63] स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी ने बिल की समीक्षा की और सेरोगेसी एवं एआरटी सेवाओं को रेगुलेट करने के लिए कॉमन अथॉरिटीज़ बनाने का सुझाव दिया।[64] बिल में इन सुझावों को शामिल किया गया है। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **असिस्टेड रीप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (एआरटी)**: बिल के अनुसार एआरटी में ऐसी सभी तकनीक शामिल हैं जिनमें मानव शरीर के बाहर स्पर्म या ओसाइट (अपरिपक्व एग सेल) को रखकर किसी महिला की प्रजनन प्रणाली में गैमेट या भ्रूण को प्रत्यारोपित करके गर्भावस्था हासिल की जाती है। एआरटी सेवाओं के उदाहरणों में गैमेट (स्पर्म या ओसाइट) डोनेशन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन (लैब में एग को फर्टिलाइज करना), और जेस्टेशनल सेरोगेसी (जब बच्चा सेरोगेट माता से बायोलॉजिकली संबंधित नहीं होता) शामिल हैं। एआरटी सेवाएं निम्नलिखित के जरिए प्रदान की जाती हैं: (i) एआरटी क्लिनिक, जोकि एआरटी संबंधी उपचार और प्रक्रियाएं प्रदान करते हैं, और (ii) एआरटी बैंक, जोकि गैमेट्स को स्टोर और सप्लाई करते हैं।
- **एआरटी क्लिनिक और बैंकों का रेगुलेशन**: बिल के अनुसार, हर एआरटी क्लिनिक और बैंक को नेशनल रजिस्ट्री ऑफ बैंक्स एंड क्लिनिक्स ऑफ इंडिया में रजिस्टर होना चाहिए। बिल के अंतर्गत नेशनल रजिस्ट्री बनाई जाएगी और वह देश में सभी एआरटी क्लिनिक्स और बैंक्स के विवरणों वाले केंद्रीय डेटाबेस की तरह काम करेगी। राज्य सरकारें रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन अथॉरिटीज़ की नियुक्तियां करेगी।
- **एआरटी सेवाओं की शर्तें**: एआरटी प्रक्रिया को सिर्फ सेवा की मांग करने वाले दोनों पक्षों और डोनर की लिखित सहमति से संचालित किया जाएगा। एआरटी सेवा की मांग करने वाला पक्ष ओसाइट डोनर को बीमा कवरेज देगा (किसी नुकसान या डोनर की मौत के लिए)। क्लिनिक पर इस बात का प्रतिबंध है कि वह किसी को पूर्व निर्धारित लिंग का बच्चा नहीं देगा। बिल में यह अपेक्षित है कि भ्रूण के प्रत्यारोपण से पहले जेनेटिक बीमारी की जांच की जाए।
- **राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड्स**: बिल में प्रावधान है कि सेरोगेसी (रेगुलेशन) बिल, 2019 के अंतर्गत गठित

राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड्स एआरटी सेवाओं के रेगुलेशन के लिए क्रमशः राष्ट्रीय और राज्य बोर्ड्स के तौर पर काम करेंगे। राष्ट्रीय बोर्ड की मुख्य शक्तियों और कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) एआरटी संबंधी नीतिगत मामलों में केंद्र सरकार को सलाह देना, (ii) बिल के कार्यान्वयन की समीक्षा करना और उसकी निगरानी करना, (iii) एआरटी क्लिनिक्स और बैंकों के लिए आचार संहिता और मानदंड बनाना, और (iv) बिल के अंतर्गत गठित विभिन्न निकायों का पर्यवेक्षण। राष्ट्रीय बोर्ड के सुझावों, नीतियों और रेगेलुशंस के अनुसार राज्य बोर्ड एआरटी की नीतियों और दिशानिर्देशों के प्रवर्तन के बीच समन्वय स्थापित करेगा।

बिल पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें।

सेरोगेसी को रेगुलेट करने वाला बिल संसद में पारित

सेरोगेसी (रेगुलेशन) बिल, 2019 को संसद में पारित कर दिया गया।[65] बिल सेरोगेसी को ऐसे कार्य के रूप में पारिभाषित करता है जिसमें कोई महिला किसी इच्छुक कपल के लिए बच्चे को जन्म देती है और जन्म के बाद उस इच्छुक कपल को बच्चा सौंप देती है। राज्यसभा की सिलेक्ट कमिटी ने इस बिल की समीक्षा की और उसने कई संशोधनों का सुझाव दिया।[66] बिल में सिलेक्ट कमिटी के इन सुझावों को शामिल किया गया और फिर उसे संसद में पारित कर दिया। बिल की मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **सरोगेसी का रेगुलेशन:** बिल में इच्छुक कपल और महिलाओं को कुछ आधार पर सेरोगेसी की अनुमति दी गई है। यह परोपकार वश सेरोगेसी की अनुमति देता है जिसमें सेरोगेट माता को गर्भावस्था के दौरान दिए जाने वाले मेडिकल खर्चे, बीमा कवरेज और अन्य निर्दिष्ट खर्चों के अतिरिक्त कोई मौद्रिक मुआवजा शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त यह परोपकार वश सरोगेसी का पालन नहीं करने वाले इच्छुक कपल, इच्छुक महिलाओं और अन्य व्यक्तियों को दंडित करता है।
- **इच्छुक कपल/महिला का पात्रता मानदंड**: इच्छुक कपल वह है जिसकी मेडिकल स्थिति जेस्टेशनल सेरोगेसी की जरूरत का संकेत देती है। इसके अतिरिक्त इच्छुक महिला (भारतीय नागरिक और विधा या तलाकशुदा जिसकी आयु 35 से 45 वर्ष के बीच की हो) भी सेरोगेसी को कमीशन कर सकती है। सेरोगेसी करने के लिए इच्छुक कपल या इच्छुक महिला को बोर्ड की सिफारिश वाला पत्र, जैसा निर्दिष्ट किया जाए और अनिवार्यता एवं योग्यता का सर्टिफिकेट हासिल करना होगा। अनिवार्यता सर्टिफिकेट तभी दिया जाएगा, अगर इच्छुक कपल या महिला कुछ निर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों जैसे जेस्टेशनल सेरोगेसी की जरूरत बताने वाला मेडिकल सर्टिफिकेट जो जिला मेडिकल बोर्ड देगा।
- इच्छुक कपल को निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर योग्यता का सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा: (i) वे भारतीय नागरिक होने चाहिए, (ii) उन्हें 23 से 50 वर्ष (पत्नी) और 26 से 55 वर्ष (पति) के बीच होना चाहिए, और (iii) उनका कोई जीवित बच्चा (बायोलॉजिकल, गोद लिया हुआ या सेरोगेट) न हो। बोर्ड पात्रता की अतिरिक्त शर्तों को निर्दिष्ट कर सकता है।
- **सेरोगेट महिला के पात्रता मानदंड:** कोई महिला सेरोगेट बनने की इच्छुक हो सकती है। सेरोगेट महिला को निम्नलिखित होना चाहिए: (i) उसे शादीशुदा होना चाहिए और उसका खुद का कम से कम एक बच्चा होना चाहिए (ii) उसे 25 से 35 वर्ष के बीच का होना चाहिए, (iii) वह जीवन में सिर्फ एक बार सेरोगेसी करवा सकती है, और (iv) उसके पास सेरोगेसी के लिए मेडिकल और मनोवैज्ञानिक फिटनेस का सर्टिफिकेट होना चाहिए। सेरोगेट महिला सेरोगेसी के लिए अपने गैमेट्स नहीं दे सकती।

बिल पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें।

राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) बिल, 2021 संसद में पारित

राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान (संशोधन) बिल, 2021 (नाइपर बिल) को संसद में पारित कर दिया गया।[67] बिल राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान एक्ट, 1998 में संशोधन का प्रयास करता है। 1998 के एक्ट के अंतर्गत पंजाब में राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई थी और उसे राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित किया गया था। राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का अर्थ है, किसी एक्ट के अंतर्गत स्थापित एक स्वायत्त संस्थान जिसके पास परीक्षाएं संचालित करने, डिग्रियां, डिप्लोमा और दूसरी शैक्षणिक पदवियां या टाइटिल्स देने की शक्ति हो। राष्ट्रीय महत्व के संस्थानों को केंद्र सरकार से वित्त पोषण प्राप्त होता है। बिल को रसायन एवं उर्वरक संबंधी स्टैंडिंग कमिटी को भेजा गया था और उसने नाइपर्स के कामकाज में सुधार के संबंध में कुछ सुझाव दिए थे।[68] बिल के मुख्य संशोधनों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय महत्व के नए संस्थान**: बिल छह अन्य राष्ट्रीय फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान घोषित करता है। ये संस्थान: (i) अहमदाबाद, (ii) हाजीपुर, (iii) हैदराबाद, (iv) कोलकाता, (v) गुवाहाटी, और (vi) रायबरेली में स्थित हैं।
- **काउंसिल की स्थापना**: बिल एक काउंसिल का प्रावधान करता है जोकि बिल के अंतर्गत आने वाले संस्थानों की गतिविधियों के बीच समन्वय स्थापित करेगी ताकि फार्मास्यूटिकल शिक्षा और अनुसंधान का विकास हो और मानदंड बरकरार रहें। काउंसिल के कामकाज में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) पाठ्यक्रम की अवधि और संस्थानों में दाखिले के मानदंडों से संबंधित मामलों पर सलाह देना, (ii) भर्ती, सेवा शर्तों और फीस के लिए नीतियां बनाना, और (iii) संस्थानों की विकास योजनाओं की समीक्षा करना और उन्हें मंजूरी देना।
- **बोर्ड ऑफ गवर्नेंस**: बोर्ड गवर्नर बोर्ड के सदस्यों की संख्या प्रत्येक संस्थान में 23 से 12 करता है। बोर्ड की अध्यक्षता प्रतिष्ठित शिक्षाविद या प्रोफेशनल करेगा। बोर्ड के पदेन सदस्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे: (i) संस्थान के डायरेक्टर, (ii) संबंधित राज्य सरकार में मेडिकल या तकनीकी शिक्षा से संबंधित सेक्रेटरी, और (iii) भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल का एक प्रतिनिधि।

बिल पर अधिक विवरण के लिए कृपया देखें।

कृषि

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

पेस्टिसाइड्स मैनेजमेंट बिल, 2020 पर स्टैंडिंग कमिटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी

कृषि, पशुपालन एवं खाद्य प्रसंस्करण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: पी.सी.गद्दीगौदर) ने 21 दिसंबर, 2021 को पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल, 2020 पर अपनी रिपोर्ट पेश की।[69] इस बिल को 23 मार्च, 2020 को पेश किया गया था। बिल इन्सेटिसाइड्स एक्ट, 1968 का स्थान लेता है। यह पेस्टिसाइड्स यानी कीटनाशकों की मैन्यूफैक्चरिंग, आयात, बिक्री, स्टोरेज, वितरण, प्रयोग और निस्तारण को रेगुलेट करने का प्रयास करता है ताकि सुरक्षित कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और मनुष्यों, पशुओं एवं पर्यावरण के जोखिम को कम किया जा सके। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **कीटनाशकों की परिभाषा**: बिल के अनुसार, कीटनाशक रसायनिक या जैविक मूल का ऐसा पदार्थ है जोकि कृषि, उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, पेस्ट कंट्रोल अभियान, या सामान्य उपयोग में कीटों की रोकथाम या उन्हें नष्ट करता है। कमिटी ने कहा कि इस व्यापक परिभाषा से रासायनिक कीटनाशक (जिन्हें कड़े रेगुलेशंस की जरूरत है) और कीट नियंत्रण के परंपरागत उपाय एक समान हो सकते हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि परिभाषा में यह निर्दिष्ट होना चाहिए कि ये कीटनाशक वे हैं, जिन्हें पंजीकरण कमिटी (जो कीटनाशकों के उपयोग के लिए पंजीकरण प्रदान करती है) ने अनुसूची में अधिसूचित किया है और उनमें कीटनाशक शामिल होने चाहिए।
- **सेंट्रल पेस्टिसाइड्स बोर्ड**: बिल के अंतर्गत केंद्र सरकार एक सेंट्रल पेस्टिसाइड्स बोर्ड बनाएगी जोकि केंद्र और राज्य सरकारों को एक्ट के अंतर्गत वैज्ञानिक एवं तकनीकी मामलों पर सलाह देगा। कमिटी ने कहा कि बोर्ड सिर्फ एक सलाहकार निकाय है और असल में सारे रेगुलेटरी अधिकार पंजीकरण कमिटी में निहित हैं जिसमें कुछ तकनीकी लोग शामिल हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि बोर्ड को यह शक्ति दी जानी चाहिए जिससे वह पंजीकरण कमिटी के कामकाज पर नजर रखे। इसके अतिरिक्त पंजीकरण कमिटी को बोर्ड के अनुमोदन से अपनी प्रक्रिया और कामकाज को रेगुलेट करना चाहिए।
- **कीटनाशकों का पंजीकरण**: बिल में कहीं भी यह निर्दिष्ट नहीं किया गया है कि पंजीकरण कमिटी कीटनाशकों के पंजीकरण में कितना समय लगाएगी। 1968 के एक्ट में कीटनाशकों के पंजीकरण की समय सीमा 12 महीने निर्दिष्ट की गई है। कमिटी ने कहा कि पंजीकरण को ओपन-एंडेड नहीं छोड़ा जाना चाहिए। उसने सुझाव दिया कि कीटनाशकों के पंजीकरण के आवेदनों को दो वर्षों में निस्तारित किया जाए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

मीडिया एवं ब्रॉडकास्टिंग

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 पर ज्वाइंट कमिटी की रिपोर्ट पेश की गई

Saket Surya (saket@prsindia.org)

पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, 2019 पर ज्वाइंट पार्लियामेंटरी कमिटी (चेयर: पी.पी.चौधरी) की रिपोर्ट को संसद के पटल पर रखा गया।[70] इस बिल को दिसंबर 2019 को लोकसभा में पेश किया गया था।[71] बिल व्यक्तियों के पर्सनल डेटा को सुरक्षा प्रदान करता है और डेटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी (डीपीए) की स्थापना करता है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **बिल का दायरा**: बिल का उद्देश्य पर्सनल डेटा को सुरक्षा प्रदान करना है। वह पर्सनल डेटा को ऐसे डेटा के रूप में परिभाषित करता है जो कि एक ऐसे व्यक्ति के बारे में या उससे संबंधित है जोकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहचान योग्य है। पर्सनल डेटा के अलावा दूसरा डेटा, नॉन पर्सनल डेटा है। कमिटी ने कहा कि पर्सनल और नॉन पर्सनल डेटा के बीच स्पष्ट रूप से अंतर करना असंभव है। चूंकि डेटा मास डेटा के तौर पर जमा किया जाता है और डेटा का मूवमेंट भी इसी शैली में होता है, हर चरण पर इसे अलग-अलग करना संभव नहीं होता। इसलिए बिल को सभी प्रकार के डेटा को संरक्षण प्रदान करना चाहिए। डीपीए को नॉन पर्सनल डेटा को रेगुलेट करने की भी शक्ति मिलनी चाहिए। इसी के अनुसार, बिल का लघु शीर्षक बदलकर 'डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, 2021' रखा जाना चाहिए।
- **सरकारी एजेंसियों को छूट**: बिल केंद्र सरकार को अधिकार देता है कि वह किसी सरकारी एजेंसी को बिल के किसी एक या सभी प्रावधानों के अंतर्गत पर्सनल डेटा प्रोसेसिंग से छूट दे सकती है। ये छूट मिल सकती है, अगर: (i) यह जरूरी और उचित हो, और (ii) राष्ट्रीय सुरक्षा और लोक व्यवस्था सहित विशिष्ट आधार पर जनहित में हो। छूट के आदेश में यह शामिल होना चाहिए कि एजेंसी किन प्रक्रियाओं, सुरक्षात्मक उपायों और निगरानी तंत्र का पालन करेगी। कमिटी ने कहा कि इन शर्तों को व्यक्तियों की स्वतंत्रता पर लागू उचित प्रतिबंधों के रूप में वरीयता दी जाती है। हालांकि इस प्रावधान का दुरुपयोग किया जा सकता है। इस प्रकार बिल में निर्दिष्ट होना चाहिए जिस प्रक्रिया का पालन किया जाए, वह 'निष्पक्ष, न्यायोचित, उपयुक्त और आनुपातिक' होनी चाहिए।
- **डेटा ब्रीच**: बिल में एक डेटा फिड्यूशरी (ऐसा व्यक्ति जो पर्सनल डेटा की प्रोसेसिंग के उद्देश्य और तरीकों को निर्धारित करता है) से यह अपेक्षित है कि वह पर्सनल डेटा के ऐसे किसी भी ब्रीच (अनाधिकृत एक्सेस या खुलासा या एक्सेस का नुकसान होना) के बारे में डीपीए को सूचित करे, जिसमें ब्रीच के कारण डेटा प्रिंसिपल को हानि होने की आशंका है। कमिटी ने कहा कि 'हानि होने की आशंका' एक अनुमान है, और अस्पष्टता पैदा कर सकता है। उसने सुझाव दिया कि डेटा फिड्यूशरी के लिए यह अनिवार्य किया जाना चाहिए कि वह ब्रीच की जानकारी मिलने के 72 घंटे के भीतर, अपने विवेक का इस्तेमाल किए बिना डीपीए को हर पर्सनल डेटा ब्रीच की रिपोर्ट करे। इसके अलावा डीपीए को नॉन पर्सनल डेटा के किसी भी ब्रीच को रेगुलेट करने की शक्ति दी जानी चाहिए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया [देखें](#)।

सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले उद्योग को बढ़ावा देने वाले इनीशिएटिव्स अधिसूचित

Saket Surya (saket@prsindia.org)

इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले उद्योग को बढ़ावा देने वाले विभिन्न इनीशिएटिव्स को अधिसूचित किया है।[72] इनका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्यूफैक्चरिंग में उच्च घरेलू मूल्य संवर्धन को बढ़ावा देना है। मुख्य विवरणों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **डिजाइन से लिंक इन्सेंटिव योजना**: योजना के अंतर्गत सेमीकंडक्टर डिजाइन की 100 घरेलू कंपनियों को सहयोग दिया जाएगा (इसमें इंटिग्रेटेड सर्किट्स के डिजाइन, चिपसेट्स, सिस्टम ऑन चिप्स, सिस्टम्स और सेमीकंडक्टर-लिंक डिजाइन शामिल हैं)। इन्सेंटिव्स में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) उत्पाद के डिजाइन से लिंक 50% पात्र व्यय तक का इन्सेंटिव, और (ii) पांच वर्ष के लिए शुद्ध बिक्री कारोबार पर 4%-6% का उत्पाद डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इन्सेंटिव।[73] योजना 1 जनवरी, 2022 से तीन वर्षों के लिए आवेदन हेतु खोल दी जाएगी।
- **मैन्यूफैक्चरिंग के लिए इन्सेंटिव योजना**: सेमीकंडक्टर्स और इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले तथा संबंधित घटकों की मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए तीन अलग योजनाएं अधिसूचित की गई हैं। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले तथा सेमीकंडक्टर्स के फैब्रिकेशन प्लांट्स लगाने के लिए परियोजना लागत के 50% तक का वित्तीय सहयोग प्रदान किया जाएगा।[74,75] इन योजनाओं के अंतर्गत छह वर्ष की अवधि के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा।
- स्थापना के लिए पूंजीगत व्यय के 30% तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी: (i) कंपाउंड

सेमीकंडक्टर्स, सिलिकॉन फोटोनिक्स और सेंसर के लिए फैब्रिकेशन प्लांट्स, और (ii) असेंबली और टेस्टिंग सहित फैब्रिकेशन के बाद के चरण के लिए सुविधाएं।[76] यह योजना तीन साल के लिए आवेदन के लिए खुली रहेगी।

- **भारत सेमीकंडक्टर मिशन**: एक स्वतंत्र और विशिष्ट मिशन की स्थापना की जाएगी। यह सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले इकोसिस्टम पर योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए नोडल एजेंसी होगी।
- **सेमी कंडक्टर लेबोरेट्रीज़ (एससीएल)**: मंत्रालय अंतरिक्ष विभाग के अंतर्गत स्वायत्त निकाय एससीएल के आधुनिकीकरण और कमर्शियलाइजेशन के लिए जरूरी कदम उठाएगा।[77] एससीएल रणनीतिक जरूरतों को पूरा करने के लिए माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास में संलग्न है।

इन कार्यक्रमों का कुल परिव्यय 76,000 करोड़ रुपए अनुमानित है।[72]

मीडिया कवरेज में नैतिक मानकों पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: डॉ. शशि थरूर) ने 'मीडिया कवरेज में नैतिक मानक' विषय पर अपनी रिपोर्ट पेश की।[78] जनवरी 2020 तक देश में 1.45 लाख अखबार, 387 न्यूज और करंट अफेयर्स चैनल और ऑल इंडिया रेडियो द्वारा संचालित 495 रेडियो स्टेशंस हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि इस रिपोर्ट में शामिल सभी पहलुएं को शमिल करने के लिए एक आयोग बनाया जाए और वह छह महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपे। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **पीसीआई का पुनर्गठन**: प्रेस की रेगुलेशन करने के लिए प्रेस परिषद एक्ट, 1978 के अंतर्गत भारतीय प्रेस परिषद एक सांविधिक निकाय है। कमिटी ने कहा कि पीसीआई के पास अनुपालनों का प्रवर्तन करने की शक्ति नहीं है क्योंकि उसकी एडवाइजरीज़ को अदालती फैसलों की तरह लागू नहीं किया जाता। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि मीडिया के अलग-अलग सेगमेंट्स के लिए अलग-अलग मानक हैं, और कइयों के तो कोई मानक ही नहीं हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि पीसीआई का पुनर्गठन किया जाए और सभी प्रकार के मीडिया (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल) को कवर करने के लिए मीडिया परिषद बनाई जाए। परिषद के पास सांविधिक शक्तियां होनी चाहिए ताकि जब भी जरूरत हो, उसके आदेशों को लागू किया जाए। इसके अतिरिक्त कमिटी ने पीसीआई की सदस्यता बढ़ाने का भी सुझाव दिया (वर्तमान में उसके 20 सदस्य हैं)।
- **मीडिया के खिलाफ शिकायतें**: प्रिंट मीडिया द्वारा नैतिक मानकों का उल्लंघन करने पर पीसीआई अखबारों को निर्देश देती है कि वे शिकायतकर्ता के वर्जन को छापें। कुछ मामलों में अखबारों को फटकार लगाई जाती है। ऐसे मामलों में इन फैसलों को ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन (बीओसी) और संबंधित राज्य सरकारों को भेजा जाता है। कमिटी ने कहा कि बीओसी कोई कार्रवाई करे, तब तक अखबार नैतिक मानकों का उल्लंघन करते रहते हैं। इसके अतिरिक्त उसने कहा कि बीओसी को आदेश देने में करीब एक साल लग जाता है। कमिटी ने सुझाव दिया कि मंत्रालय को बीओसी के लिए एक समय सीमा तय करना चाहिए जिसमें वह पीसीआई के फैसले पर कार्रवाई करे।
- **देश द्रोही दृष्टिकोण की परिभाषा**: केबल नेटवर्क नियम, 2014 के अंतर्गत केबल सर्विस के उन सभी कार्यक्रमों पर प्रतिबंध लगाया गया है जोकि 'देश द्रोही दृष्टिकोण' को बढ़ावा देते हैं। हालंकि 'देश द्रोही दृष्टिकोण' को परिभाषित नहीं किया गया है। कमिटी ने सुझाव दिया कि किसी भी प्रकार की अस्पष्टता को दूर करने के लिए 'देश द्रोही दृष्टिकोण' की उचित परिभाषा दी जानी चाहिए।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

टेलीकॉम सेवाओं/इंटरनेट के सस्पेंशन और उसके प्रभावों पर रिपोर्ट सौंपी गई

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: डॉ. शशि थरूर) ने 'टेलीकॉम सेवाओं/इंटनेट का सस्पेंशन और उसका असर' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[79] वर्तमान में दूरसंचार सेवाओं के अस्थायी निलंबन (सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा) नियम, 2017 के अंतर्गत टेलीकॉम सेवाओं का सस्पेंशन (इंटरनेट शटडाउन सहित) किया जाता है। ये नियम भारतीय टेलीग्राफ एक्ट, 1885 के अंतर्गत अधिसूचित किए गए हैं।[80,81] 2017 के नियमों में यह प्रावधान है कि सार्वजनिक आपातकाल के आधार पर किसी क्षेत्र में टेलीकॉम सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद किया जा

सकता है (एक बार में 15 दिनों तक)।[80] 1885 का एक्ट केंद्र सरकार को यह अधिकार देता है कि वह इंटरनेट सेवाओं सहित विभिन्न प्रकार की टेलीकॉम सेवाओं को रेगुलेट करे और उन्हें लाइसेंस प्रदान करे।[81] कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **टेलीकॉम सेवाओं के सस्पेंशन का रेगुलेशन**: कमिटी ने कहा कि 2017 के नियमों की अधिसूचना से पहले तक दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 के अंतर्गत मनमाने ढंग से टेलीकॉम/इंटरनेट शटडाउन्स के आदेश दिए जाते थे। 2020 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि 2017 के नियमों में पर्याप्त सुरक्षात्मक उपाय मौजूद नहीं हैं।[82] सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद नवंबर 2020 में 2017 के नियमों में कुछ संशोधन किए गए।[83] हालांकि कमिटी ने कहा कि ये संशोधन पर्याप्त नहीं हैं और बहुत से प्रावधानों को ओपन-एंडेड छोड़ दिया गया है। उसने कई चिंताएं जाहिर कीं, जैसे सस्पेंशन के जो आधार हैं, उनकी परिभाषा मौजूद नहीं है, और ओवरसाइट कमिटी की संरचना को काफी हद तक कार्यपालिका तक सीमित रखा गया है। कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) नियमों की समीक्षा की जाए ताकि इंटरनेट शटडाउन के सभी पहलुओं को संबोधित किया जा सके, (ii) नियमों को बदलती तकनीक के अनुकूल किया जाए ताकि लोगो को कम से कम परेशानी हो, और (iii) इंटरनेट शटडाउन का आदेश देते समय राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक समान दिशानिर्देश जारी किए जाएं।
- **टेलीकॉम सेवाओं के सस्पेंशन के लिए आधार**: 2017 के नियमों के अंतर्गत सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा के आधार पर टेलीकॉम/इंटरनेट शटडाउन्स के आदेश दिए जा सकते हैं। लेकिन 1885 के एक्ट या 2017 के नियमों में सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा को परिभाषित नहीं किया गया है। कमिटी ने कहा कि इंटरनेट शटडाउन कितना जरूरी है और व्यक्तिपरक मूल्यांकन के आधार पर शटडाउन का आदेश दिया गया है, यह तय करने के लिए मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं। उसने कहा कि राज्य सरकारों ने नियमित पुलिसिंग और प्रशासनिक उद्देश्यों, जैसे परीक्षाओं में नकल एवं स्थानीय अपराध को रोकने के लिए शटडाउन्स के आदेश दिए हैं। कमिटी ने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) ऐसे स्पष्ट मानदंडों को संहिताबद्ध करना, जो सार्वजनिक आपातकाल और सार्वजनिक सुरक्षा के रूप में स्थापित हैं, और (ii) इंटरनेट शटडाउन का महत्व तय करने के लिए एक व्यवस्था तैयार करना।
- **सेवाओं पर चुनींदा पाबंदी**: इंटरनेट शटडाउन के मौजूदा रूप में इंटरनेट पर सभी प्रकार की सूचनाओं और सेवाओं को प्रतिबंधित किया जाता है। कमिटी ने डॉट को सुझाव दिया कि वह इंटरनेट पर पूरी पाबंदी लगाने की बजाय कुछ सेवाओं के इस्तेमाल पर चुनींदा पाबंदी लगाने की नीति बनाए। इससे आम लोगों को कम से कम असुविधा होगी और साथ ही, गलत सूचनाओं पर रोक लगाने का उद्देश्य भी पूरा होगा।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

ब्लॉकचेन पर राष्ट्रीय रणनीति जारी

Saket Surya (saket@prsindia.org)

इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने राष्ट्रीय ब्लॉकचेन रणनीति जारी की।[84] ब्लॉकचेन एक वितरित लेज़र तकनीक है जो व्यापार लेनदेन में शामिल विभिन्न पक्षों के बीच साझा लेजर पर आधारित है। ब्लॉकचेन में उपयोग होने वाला डेटा स्ट्रक्चर समय-अनुक्रमित तरीके से लेनदेन का एक अपरिवर्तनीय रिकॉर्ड बनाए रखता है, जिससे लेनदेन को मान्य करने के लिए एक केंद्रीय इकाई की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। मंत्रालय ने ब्लॉकचेन को अपनाने में निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियों पर उल्लेख किया: (i) मापनीयता और लेनदेन की गति, (ii) डेटा सुरक्षा और गोपनीयता, (iii) मानकीकरण और इंटरऑपरेबिलिटी, और (iv) कुशल श्रमबल। रणनीति की प्रमुख विशेषताओं में

- **राष्ट्रीय स्तर का ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क**: रणनीति एक राष्ट्रीय स्तर के ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क को बनाने का प्रस्ताव करती है। देश में कई क्षेत्रों में ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म की मेजबानी के लिए बुनियादी ढांचा तैयार किया जाएगा। रणनीति एक राष्ट्रीय संसाधन के रूप में ब्लॉकचेन के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण का प्रस्ताव करती है और एक सेवा के रूप में ब्लॉकचेन की पेशकश करने की सिफारिश करती है (ब्लॉकचेन एप्लिकेशंस के निर्माण और मेजबानी के लिए सेवाएं)। रणनीति में एक ओपन एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (एपीआई) के साथ एक स्वदेशी प्रौद्योगिकी स्टैक विकसित करने का प्रस्ताव है। एपीआई दो सॉफ्टवेयर सिस्टम को एक दूसरे के इंटरैक्ट करने में सक्षम बनाता है। ओपन एपीआई का मतलब सॉफ्टवेयर तक प्रोग्रामेटिक

एक्सेस के लिए सार्वजनिक रूप से उपलब्ध इंटरफेस है।

- **राष्ट्रीय स्तर की सेवाओं से एकीकरण**: राष्ट्रीय स्तर की निम्नलिखित सेवाओं को ब्लॉकचेन फ्रेमवर्क से एकीकृत किया जाएगा: (i) eSign, यह एक ऑनलाइन सेवा है जोकि दस्तावेजों पर तुरंत हस्ताक्षर करने का प्रावधान करती है, (ii) ePramaan, एक प्रमाणनन सेवा जिसे विभिन्न सरकारी आवेदनों के एक्सेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और (iii) DigiLocker, सरकारी एजेंसियों द्वारा जारी विभिन्न दस्तावेजों के एक्सेस के लिए एक ऑनलाइन सेवा।
- **क्षमता निर्माण**: रणनीति कहती है कि अल्पावधि पाठ्यक्रम या बूटकैंप आयोजित करके ब्लॉकचेन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। यह एप्लिकेशंस के विकास और टेस्टिंग और वर्चुअल प्रशिक्षण की पेशकश के लिए सैंडबॉक्स वातावरण बनाने का प्रस्ताव करता है। सैंडबॉक्स डेवलपर्स को ग्राहकों के साथ नए उत्पादों, सेवाओं और व्यापार मॉडल की टेस्टिंग के लिए एक नियंत्रित वातावरण प्रदान करता है।

कॉल डीटेल रिकॉर्ड्स के अनिवार्य स्टोरेज की अवधि दो वर्ष बढ़ाई गई

Saket Surya (saket@prsindia.org)

दूरसंचार विभाग ने कुछ प्रकार के रिकॉर्ड्स के लिए अनिवार्य स्टोरेज अवधि को एक वर्ष से बढ़ाकर दो वर्ष करने के लिए एकीकृत लाइसेंस समझौते में संशोधन किया है। इनमें निम्नलिखित प्रकार के रिकॉर्ड्स शामिल हैं: (i) कमर्शियल रिकॉर्ड, कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर), एक्सचेंज डिटेल रिकॉर्ड, और इंटरनेट प्रोटोकॉल डिटेल रिकॉर्ड (आईपीडीआर) किसी टेलीकॉम नेटवर्क पर एक्सचेंज होने वाले कम्यूनिकेशन के संबंध में (ii) इंटरनेट टेलीफोनी सेवा सहित इंटरनेट के लिए सीडीआर/आईपीडीआर, और (iii) इंटरनेट एक्सेस, ईमेल, इंटरनेट टेलीफोनी और इंटरनेट आधारित टेलीविजन जैसी सेवाओं के लिए सभी ग्राहकों के लॉग इन/लॉग आउट विवरण।[85] इन रिकॉर्ड्स में कॉल, एसएमएस, या इंटरनेट एक्सेस के इवेंट के बारे में कुछ विवरण होते हैं जैसे कॉल या एसएमएस के मामले में स्रोत और गंतव्य नंबर, इंटरनेट एक्सेस के मामले में कंप्यूटर या मोबाइल फोन का आईपी एड्रेस और डिवाइस आइडेंटिफिकेशन नंबर और कम्यूनिकेश का समय और अवधि। ये शर्तें दूरसंचार लाइसेंस के अंतर्गत सुरक्षा शर्तों का हिस्सा हैं।

मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स की इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग पर दिशानिर्देश जारी

Saket Surya (saket@prsindia.org)

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने मल्टी-सिस्टम ऑपरेटर्स (एमएसओ) की इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग पर दिशानिर्देशों को जारी किया।[86] एमएसओ केबल टीवी सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। एमएसओ के बीच जिन मुख्य इंफ्रास्ट्रक्चर एलिमेंट्स को साझा करने की अनुमति है, वे हैं: (i) हेडएंड उपकरण (सैटेलाइट सिग्नल की प्रोसेसिंग के लिए) और टीवी चैनलों के सिग्नल के लिए ट्रांसपोर्ट स्ट्रीम, (ii) सब्सक्राइबर मैनेजमेंट सिस्टम (एसएमएस) और कंडीशनल एक्सेस सिस्टम (सीएएस) एप्लिकेशंस के लिए सामान्य हार्डवेयर। अनाधिकृत पहुंच को रोकने के लिए सीएएस का उपयोग किया जाता है। इससे पहले एक एमएसओ को अपना स्वतंत्र हेडएंड स्थापित करना पड़ता था। इंफ्रास्ट्रक्चर को साझा करने के इच्छुक एमएसओ को मंत्रालय को एक संयुक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करना होगा।

रूपे डेबिट कार्ड्स और भीम-यूपीआई के जरिए डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने वाली योजना अधिसूचित

Saket Surya (saket@prsindia.org)

इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय ने निम्नलिखित प्रकार के डिजिटल भुगतान के लिए अधिग्रहण करने वाले बैंकों को प्रोत्साहित करने हेतु एक योजना अधिसूचित की: (i) रूपे डेबिट कार्ड्स का इस्तेमाल करते हुए प्वाइंट ऑफ सेल और ई-कॉमर्स लेनदेन, और (ii) कम कीमत के पर्सन टू मर्चेंट भीम-यूपीआई लेनदेन (2,000 रुपए तक)।[87,88] योजना 1 अप्रैल, 2021 से एक वर्ष की अवधि के लिए उपलब्ध होगी।[87] अधिग्रहण करने वाला बैंक वह वित्तीय संस्था है जिसमें मर्चेंट का बैंक खाता होता है।

योजना के अंतर्गत अधिग्रहण करने वाले बैंक को एक निश्चित दर पर लेनदेन की कीमत का एक प्रतिशत चुकाया जाएगा (देखें तालिका 2)।[88] सरकार, बीमा, म्यूचुअल फंड, रेलवे, अस्पताल और ईंधन जैसे विर्दिष्ट उद्योग कार्यक्रमों के अंतर्गत मर्चेंट्स को निम्न दर पर इन्सेंटिव्स दिए जाएंगे।[88] इन्सेंटिव का पात्र होने के लिए बैंक को कम से कम निम्नलिखित हासिल करना होगा: (i) 2021-22 में रूपे डेबिट कार्ड लेनदेन की संख्या में 10% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि, और (ii) भीम-यूपीआई लेनदेन की संख्या में 50% की वर्ष दर वर्ष वृद्धि।[88] वृद्धि का आकलन करने के लिए पर्सन टू द मर्चेंट

लेनदेन के अतिरिक्त लेनदेन पर भी विचार किया जाएगा।

तालिका 2: अधिग्रहण करने वाले बैंक को इन्सेंटिव की दर

मर्चेंट की श्रेणी	रूपे डेबिट कार्ड के जरिए पीओएस और	पर्सन टू मर्चेंट भीम–यूपीआई (2,000 रुपए तक)
निर्दिष्ट उद्योग	6 रुपए पर 0.15% की सीमा	0.15%
निर्दिष्ट उद्योग के	100 रुपए पर 0.40% की सीमा	0.25%

नोट: पीओएस का मतलब है, प्वाइंट ऑफ सेल, ईकॉम का मतलब है ई-कॉमर्स
स्रोत: अधिसूचना संख्या 24(1)/2020-डीपीडी-भाग (2), इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय, भारतीय गैजेट; पीआरएस

योजना का कुल अनुमानित परिव्यय 1,300 करोड़ रुपए है।[87]

उद्योग

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मोबिलिटी पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

उद्योग संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: डॉ. के केशवा राव) ने 'इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड मोबिलिटी- ऑटोमोबाइल उद्योग में संभावनाएं और चुनौतियां' विषय पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[89] 2019 तक विश्व में ऑटोमोबाइल्स की बिक्री में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवीज़) का हिस्सा 2.3% था। भारत में ईवीज़ का हिस्सा 0.1% था। 2020-21 में भारत में करीब 1.59 लाख ईवीज़ की बिक्री हुई जोकि उसी अवधि में इंटरनल कंबशन ईंजन (आईसीई) बिक्री (1.79 करोड़) का 0.8% है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय नीति**: कमिटी ने कहा कि 13 राज्यों ने डेडिकेटेड ईवी नीतियां अधिसूचित की हैं जबकि 12 राज्य अपनी नीतियों को ड्राफ्ट कर रहे हैं। ये नीतियां वाहनों के स्वामित्व की कुल लागत को कम करने के लिए मांग तथा आपूर्ति पक्ष के इनसेंटिव्स पर केंद्रित हैं और स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देती हैं। कमिटी ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार को केंद्र और राज्य स्तर पर मौजूदा नीतियों को एक समान करना चाहिए और देश में ईवीज़ के उपयोग के लिए राष्ट्रीय स्तर की नीति तैयार करनी चाहिए।
- **फेम इंडिया**: इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड वाहनों के लिए मार्केट और मैन्यूफैक्चरिंग इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए अप्रैल 2015 में भारत में हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों का तेजी से उपयोग और विनिर्माण योजना (फेम) को शुरू किया गया। योजना का दूसरा चरण अप्रैल 2019 में शुरू हुआ जिसका बजटीय परिव्यय तीन वर्षों के लिए 10,000 करोड़ रुपए था। इसका लक्ष्य 7,090 इलेक्ट्रिक बसों, 55,000 चार पहिया यात्री कारों, पांच लाख तीन पहिया और 10 लाख इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों की खरीद को वित्त पोषित करना है। कमिटी ने कहा कि फेम योजना केवल ईवीज़ और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की खरीद पर सबसिडी देने तक सीमित है। उसने सुझाव दिया कि योजना के दायरे को व्यापक बनाया जाए ताकि इसमें निम्नलिखित की फंडिंग और इनसेंटिव्स को शामिल किया जा सके: (i) ईवीज़ के कंपोनेंट्स और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का अनुसंधान और विकास, (ii) स्थानीय स्तर पर ईवी कंपोनेट्स की मैन्यूफैक्चरिंग, और (iii) ...

रिपोर्ट का पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण

Shubham Dutt (shubham@prsindia.org)

एससी स्टूडेंट्स के लिए छात्रावास निर्माण की योजना पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

सामाजिक न्याय एवं सशक्तीकरण संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: रमा देवी) ने 'अनुसूचित जातियों के लड़के-लड़कियों के लिए बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (बीजेआरसीवाई)' पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[90] बीजेआरसीवाई एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जातियों (एससी) के विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों (हॉस्टल्स) का निर्माण किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत एससी विद्यार्थियों के लिए छात्रावासों की नई इमारतों के निर्माण, मौजूदा छात्रावासों के विस्तार तथा उनकी मरम्मत और रखरखाव के लिए केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **छात्रावासों की स्थिति**: कमिटी ने कहा कि 2007-08 से 2020-21 के बीच योजना के अंतर्गत 819

छात्रावासों को मंजूरी दी गई। इनमें से 662 छात्रावास (लड़कियों के लिए 391 छात्रावास और लड़कों के लिए 271 छात्रावास) पूरे हो गए हैं, 144 निर्माणाधीन हैं और 13 को रद्द कर दिया गया। पूरे होने वाले 366 छात्रावास (लड़कियों के लिए 344 छात्रावास और लड़कों के लिए 22 छात्रावास) चालू हैं। कमिटी ने गौर किया कि योजना अपने लक्ष्य को पूरा करने में असफल रही है। इसका लक्ष्य यह था कि निम्न साक्षरता वाले जिलों के प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय में एक छात्रावास बनाया जाएगा। अपेक्षाकृत ज्यादा बड़ी एससी आबादी वाले राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों (जैसे पंजाब और बिहार) के लिए कम छात्रावास मंजूर किए गए। कमिटी ने कहा कि छात्रावासों में उपलब्ध सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं। उसने निम्नलिखित सुझाव दिए: (i) देश भर में छात्रावासों का भरोसेमंद डेटाबेस बनाया जाए, उसे रियल टाइम पर अपडेट किया जाए और केंद्रीय स्तर पर उसकी मॉनिटरिंग हो, (ii) समयबद्ध तरीके से इस बात का आकलन किया जाए कि कितने छात्रावासों की और जरूरत है, और (iii) बीजेआरसीवाई के अंतर्गत प्रस्ताव पेश करने के लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाए।

- **बजटीय आबंटन**: वित्तीय वर्ष 2021-22 से केंद्र सरकार की दो अन्य योजनाओं में बीजेआरसीवाई का विलय कर दिया गया। ये योजनाएं हैं, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पीएमएजीवाई) और अनुसूचित जाति उपयोजना में विशेष केंद्रीय सहायता (एससीएसपी में एससीए)। अनुसूचित जाति की आबादी को लक्षित इन तीन योजनाओं का विलय प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना (पीएम-अजय) नामक एक योजना में कर दिया गया है। कमिटी ने गौर किया कि 2020-21 में इन तीन योजनाओं के लिए जो आबंटन किया गया था (बीजेआरसीवाई के अंतर्गत वास्तविक व्यय को देखते हुए), उसकी तुलना में 2021-22 में पीएम-अजय योजना के बजटीय आबंटन में 160 करोड़ रुपए कम कर दिए गए (इसके लिए 1,800 करोड़ रुपए आबंटित किए गए)। कमिटी ने कहा कि बीजेआरसीवाई के अंतर्गत पहले लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों के लिए अलग-अलग आबंटन किए जाते थे लेकिन 2019-20 से उनकी आबंटन की राशि को मिला दिया गया और कुल आबंटन कम कर दिया गया।
- कमिटी की यह राय थी कि बीजेआरसीवाई के स्वतंत्र कामकाज के लिए विशिष्ट आबंटन जारी रहना चाहिए ताकि वह दूसरी योजनाओं से प्रभावित न हो। कमिटी ने विभाग से कहा कि वह डेटा के जरिए इस बात को सही साबित करे कि पीएम-अजय के अंतर्गत नई फंड व्यवस्था बीजेआरसीवाई के लिए सफल है। इसके अतिरिक्त कमिटी ने सुझाव दिया कि पीएम-अजय आबंटन के अंतर्गत बीजेआरसीवाई के लिए अनुमानित आबंटन किया जाए, जिसमें लड़कों और लड़कियों के छात्रावासों के लिए अलग-अलग आबंटन हो।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

आवासन

Shashank Srivastava (shashank@prsindia.org)

पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि पर स्टैंडिंग कमिटी ने रिपोर्ट सौंपी

आवासन एवं शहरी मामलों संबंधी स्टैंडिंग कमिटी (चेयर: जगदंबिका पाल) ने पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि) पर अपनी रिपोर्ट सौंपी।[91] पीएम स्वनिधि को 2020 के जून माह में आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंग के रूप में शुरू किया गया था ताकि फुटपाथी दुकानदारों को कोविड-19 के असर के बाद अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए कार्यशील पूंजी हेतु ऋण दिया जा सके। फुटपाथी दुकानदारों के जीविकोपार्जन का संरक्षण और रेगुलेशन एक्ट, 2014 में प्रावधान है कि सार्वजनिक स्थलों पर फुटपाथी दुकानदारों का रेगुलेशन और उनके अधिकार का संरक्षण किया जा सके। कमिटी के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **योजना का विस्तार:** योजना के अंतर्गत ऋण लेने वाले फुटपाथी दुकानदार (वेंडर्स) 7% की ब्याज सबसिडी के पात्र हैं। यह सबसिडी मार्च 2022 तक उपलब्ध है। कमिटी ने गौर किया कि कई फुटपाथी दुकानदार इस योजना के दायरे में नहीं आते, और बहुत दुकानदार अपने कारोबार पर कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव से अब भी उबर रहे हैं। कमिटी ने इस योजना के कम से कम एक वर्ष और बढ़ाने का सुझाव दिया।
- **फुटपाथी दुकानदारों का पंजीकरण:** 2014 के एक्ट के अंतर्गत फुटपाथी दुकानदारों को सर्टिफिकेट ऑफ वेंडिंग (सीओवी) जारी किया जाता है। इसके लिए शहरी स्थानीय निकाय उन्हें चिन्हित करने के लिए सर्वे करते हैं। योजना के अंतर्गत

वेंडर आईडी कार्ड (सीओवी) वाले, या लेटर ऑफ रिकमंडेशन (एलओआर) वाले फुटपाथी दुकानदार ऋण के पात्र हैं। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा उन फुटपाथी दुकानदारों को एलओआर जारी किए जाते हैं जो सर्वे से बाहर रह गए थे। कमिटी ने गौर किया कि 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने सीओवी से ज्यादा एलओआर जारी किए हैं और तीन राज्यों ने एक भी सीओवी जारी नहीं किया है। कमिटी ने कहा कि एलओआर एक अंतरिम उपाय है और मंत्रालय को सुझाव दिया कि एक्ट के अंतर्गत गतिविधियों के क्रम का पालन किया जाए और सभी चिन्हित फुटपाथी दुकानदार को सीओवी जारी किया जाए। इसके अतिरिक्त एलओआर जारी होने के एक महीने के भीतर सीओवी जारी किए जाने चाहिए।

- **ऋणों को मंजूरी और उनका संवितरण:** कमिटी ने कहा कि दस राज्यों में से प्रत्येक की मंजूरी दर और संवितरण की दर (कुल ऋण आवेदनों में से) 50% से कम है। कुछ बैंकों की मंजूरी दर भी 50% से कम है। इसके अतिरिक्त योजना के अंतर्गत ऋण का संवितरण 30 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए लेकिन 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ऋण संवितरण में इससे अधिक समय लगता है। कमिटी ने निम्नलिखित का सुझाव दिया: (i) राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को मंजूरी और संवितरण दर में सुधार के लिए समय सीमा देना, (ii) निम्न मंजूरी दर के बैंक विशिष्ट कारणों की जांच करना, और (iii) ऋण संवितरण प्रक्रिया में देरी को दूर करना।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

शिक्षा

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

कैग ने नए इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी पर अपनी रिपोर्ट जारी की

भारतीय नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (कैग) ने दिसंबर 2021 में 'नए इंडियन इंस्टीट्यूट्स ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना' पर अपनी ऑडिट रिपोर्ट जारी की है।[92] रिपोर्ट में 2008-09 के दौरान भुवनेश्वर, गांधीनगर, हैदराबाद, इंदौर, जोधपुर, मंडी, पटना और रोपड़ में स्थापित आठ नए आईआईटीज़ के प्रदर्शन ऑडिट के निष्कर्षों को प्रस्तुत किया गया है। इसमें 2014-19 के दौरान इन आईआईटीज़ की गतिविधियों को शामिल किया गया है। कैग के मुख्य निष्कर्षों और सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- **भूमि आबंटन**: सभी आठ आईआईटीज़ ने स्थायी कैंपस में शिफ्ट करने से पहले अस्थायी/ट्रांजिट कैंपस से अपना काम शुरू किया था जिन्हें चरणबद्ध तरीके से विकसित किया जाना था। 2006 में केंद्र सरकार ने संबंधित राज्य सरकारों से हर आईआईटी को 500-600 एकड़ भूमि मुफ्त में आबंटित करने का अनुरोध किया था। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया कि भुवनेश्वर, गांधीनगर, मंडी और रोपड़ में चार संस्थानों को भूमि आबंटन और हस्तांतरण में लगातार समस्याएं थीं। जमीन न होने की वजह से भी स्टूडेंट्स को सुविधाएं देने में रुकावट आई। कैग ने सुझाव दिया कि शिक्षा मंत्रालय को आईआईटीज़ को जमीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों के साथ सक्रिय कदम उठाने चाहिए।
- **वित्तीय प्रबंधन**: आईआईटीज़ स्वायत्त संस्थान होते हैं जिन्हें केंद्र सरकार से अनुदान मिलता है। वे फीस, पब्लिकेशंस, ब्याज और कंसल्टेंसी के काम से भी आंतरिक संसाधन जुटाते हैं। ऑडिट रिपोर्ट में कहा गया है कि आईआईटीज़ में बार बार होने वाला खर्चा ज्यादा है, और उनकी आंतरिक प्राप्तियों का अनुपात कम है। इसलिए आईआईटीज़ अपने बार बार के खर्चे को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान पर बहुत अधिक निर्भर थे। कैग ने सुझाव दिया कि मंत्रालय और आईआईटीज़ को पर्याप्त आंतरिक संसाधनों के रास्ते तलाशने चाहिए। इससे सरकारी अनुदान पर निर्भरता कम होगी और सभी आईआईटीज़ की वित्तीय स्थिति मजबूत होगी।

रिपोर्ट पर पीआरएस सारांश के लिए कृपया देखें।

रक्षा

Tushar Chakrabarty (tushar@prsindia.org)

कंटोनमेंट भूमि प्रशासन नियम, 2021 अधिसूचित

रक्षा मंत्रालय ने कंटोनमेंट्स एक्ट, 2006 के अंतर्गत कंटोनमेंट भूमि प्रशासन नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।[93] 2021 के नियम 1937 के कंटोनमेंट भूमि प्रशासन नियमों पर प्रभावी होंगे। वे कंटोनमेंट क्षेत्रों में भूमि के वर्गीकरण और प्रबंधन का प्रावधान करते हैं। नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:

- **सामान्य भूमि पंजीकरण:** रक्षा एस्टेट्स अधिकारी सिविल एरिया के भीतर और बाहर आने वाली सभी कंटोनमेंट भूमि का सामान्य भूमि रजिस्टर और एक सामान्य भूमि पंजीकरण योजना मेनटेन करेगा। रजिस्टर या उसकी योजना में किसी भी तरह का बदलाव तभी किया जा सकता है, जब केंद्र सरकार से मंजूरी मिले।
- **भूमि का वर्गीकरण**: नियमों में कंटोनमेंट भूमि को तीन व्यापक श्रेणियों में बांटा गया है: (i) श्रेणी क भूमि (विशिष्ट सैन्य उद्देश्यों के लिए), (ii) श्रेणी ख भूमि (सैन्य प्रशासन के संबंध में कर्तव्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए रखी गई), और (iii) श्रेणी ग भूमि (कंटोनमेंट बोर्ड के भीतर आने वाली भूमि जिसमें बाजार, बूचड़खाने और पानी की सप्लाई-स्टोरेज के लिए वॉटर वर्क्स शामिल हैं)। इन श्रेणियों में भूमि के इस्तेमाल के आधार पर विभिन्न प्रबंधन प्राधिकारियों को निम्नलिखित तालिका में सूचीबद्ध किया गया है:

तालिका 3: कंटोनमेंट भूमि का वर्गीकरण और प्रबंधन

वर्गीकरण	उपयोग	प्रबंधन प्राधिकारी
श्रेणी क-1	सैन्य प्राधिकारियों द्वारा फोर्टिफिकेशन और एयरोड्रोम्स जैसे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल	रक्षा एस्टेट्स अधिकारी (कुछ क्षेत्र सैन्य प्राधिकारियों के अंतर्गत आ सकते हैं)
श्रेणी क-2	सैन्य प्राधिकारियों द्वारा इस्तेमाल नहीं, लेकिन किसी अन्य उद्देश्य के लिए उनके उपयोग पर विशिष्ट सैन्य आपत्तियां	रक्षा एस्टेट्स अधिकारी
श्रेणी ख-1	रक्षा विभाग या किसी अन्य मंत्रालय या केंद्र सरकार द्वारा इस्तेमाल	भूमि पर नियंत्रण वाला मंत्रालय या विभाग
श्रेणी ख-2	राज्य सरकार के विभाग द्वारा इस्तेमाल	भूमि पर नियंत्रण वाली राज्य सरकार
श्रेणी ख-3	निजी व्यक्ति द्वारा स्वामित्व	रक्षा एस्टेट्स अधिकारी (सिविल एरिया में अधिसूचित क्षेत्र कंटोनमेंट बोर्ड के पास होंगे)
श्रेणी ख-4	किसी अन्य श्रेणी में शामिल न होने वाली भूमि	
श्रेणी ग	बाजार, बूचड़खाने, और वॉटर वर्क्स जैसे उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल	कंटोनमेंट बोर्ड

स्रोत: रक्षा मंत्रालय; पीआरएस

उपभोक्ता मामले

उपभोक्ता संरक्षण नियम, 2021 अधिसूचित

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, 2019 के अंतर्गत उपभोक्ता संरक्षण (जिला आयोग, राज्य आयोग एवं राष्ट्रीय आय का क्षेत्राधिकार) नियम, 2021 को अधिसूचित किया।[94,95] एक्ट जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का प्रावधान करता है।[95] एक्ट वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य के आधार पर प्रत्येक स्तर पर आयोगों के अधिकतम आर्थिक क्षेत्राधिकार का प्रावधान करता है। 2021 के नियम आयोगों के क्षेत्राधिकारों में संशोधन करते हैं।

मंत्रालय के अनुसार, 2019 के एक्ट के अंतर्गत उपभोक्ता आयोगों के आर्थिक क्षेत्राधिकार के हिसाब से जो मामले पहले राष्ट्रीय और राज्य आयोगों में दायर किए जा सकते थे, वे अब जिला आयोगों में दायर किए जा रहे थे।[96] इससे जिला आयोगों पर काम का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ गया था और मामलों के निस्तारण में अत्यधिक विलंब हो रहा था। प्रत्येक स्तर पर क्षेत्राधिकारों में बदलाव निम्न प्रकार से किया गया है:

तालिका 4: उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों का आर्थिक क्षेत्राधिकार

	2019 एक्ट	2021 नियम
जिला आयोग	एक करोड़ रुपए तक	50 लाख रुपए तक
राज्य आयोग	एक करोड़ रुपए से अधिक लेकिन 10 करोड़ रुपए से कम	50 लाख रुपए से अधिक लेकिन दो करोड़ रुपए से कम
राष्ट्रीय आयोग	10 करोड़ रुपए से अधिक	दो करोड़ रुपए से अधिक

पिरामिड सेलिंग के प्रोत्साहन पर प्रतिबंध लगाने वाले डायरेक्ट सेलिंग नियम अधिसूचित

Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)

उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने उपभोक्ता संरक्षण (डायरेक्ट सेलिंग) नियम, 2021 को अधिसूचित किया है।[97] डायरेक्ट सेलिंग वस्तुओं या सेवाओं को प्रत्यक्ष रूप से अंतिम उपभोक्ता को बेचने को कहते हैं, जिसमें बिचौलिये की संलग्नता नहीं होती। नियमों को उपभोक्ता संरक्षण एक्ट, 2019 के अंतर्गत अधिसूचित किया गया है।[98] एक्ट में केंद्र सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह ई-कॉमर्स और डायरेक्ट सेलिंग में अनुचित कारोबारी आचरण को रोकने के उपाय कर सकती है। नियमों में डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी और डायरेक्ट सेलर्स की बाध्यताओं को निर्दिष्ट किया गया है। डायरेक्ट सेलिंग एंटिटी अधिकृत लोगों (जिन्हें डायरेक्ट सेलर्स कहा जाता है) के जरिए वस्तुएं और सेवाएं बेच सकती है।[97] नियमों की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:

- **एप्लिकेबिलिटी:** नियम निम्नलिखित पर लागू होते हैं: (i) डायरेक्ट सेलिंग के जरिए खरीदी या बेची जाने वाली वस्तुएं और सेवाएं, (ii) डायरेक्ट सेलिंग के सभी मॉडल्स, (iii) भारत में उपभोक्ताओं को वस्तुएं और सेवाएं प्रस्तुत करने वाली सभी डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ (वे भी जो भारत में स्थापित नहीं हैं), और (iv) डायरेक्ट सेलिंग के सभी मॉडल्स में सभी प्रकार के अनुचित कारोबारी आचरण। मौजूदा डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ को अधिसूचना के 90 दिनों के भीतर इन नियमों के प्रावधानों का पालन करना होगा।

- **पिरामिड योजनाओं पर प्रतिबंध**: पिरामिड योजना में ग्राहकों का मल्टी लेयर नेटवर्क होता है जिसमें ग्राहक दूसरे ग्राहक बनाते हैं ताकि प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ प्राप्त कर सकें।[97] इस योजना में दूसरे ग्राहकों को नामांकित करने वाले ग्राहक उच्च पद हासिल कर लेते हैं और नामांकित ग्राहक निचले पद पर रहता है। नियम डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ और डायरेक्ट सेलर्स को पिरामिड योजनाओं को बढ़ावा देने से प्रतिबंधित करते हैं।[97] इसके अतिरिक्त नियम डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बहाने से किसी भी व्यक्ति को ऐसी योजना में नामांकित करने से भी रोक लगाते हैं।
- **मनी सर्कुलेशन योजनाओं पर प्रतिबंध**: मनी सर्कुलेशन योजना का मतलब है ऐसी कोई भी योजना है जिसमें मौजूदा सदस्यों को योजना में नए सदस्यों को नामांकित करने पर किसी प्रकार का भुगतान किया जाता है।[99] मौजूदा सदस्यों को चुकाई जाने वाली धनराशि योजना में नए सदस्यों की इंट्रेंस मनी से मिल सकती है, या नहीं भी मिल सकती है। नियमों में डायरेक्ट सेलिंग एंटिटीज़ और डायरेक्ट सेलर्स को प्रतिबंधित किया गया है कि वे डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के बहाने से मनी सर्कुलेशन योजना में भाग नहीं ले सकते।[97]

कम्युनिकेशन

यूनिफाइड लाइसेंस में वॉयसमेल/ऑडियोटेक्स सेवाओं को भी कवर किया गया

Saket Surya (saket@prsindia.org)

दूरसंचार विभाग ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/वॉयसमेल/ऑडियोटेक्स सेवाओं के ऑथराइजेशन को शामिल करने के लिए यूनिफाइड लाइसेंस फ्रेमवर्क में परिवर्तनों को अधिसूचित किया है।[100] यूनिफाइड लाइसेंस फ्रेमवर्क के अंतर्गत एक्सेस सर्विस, इंटरनेट सर्विस और राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय दूरियों सहित टेलीकॉम सेवाओं के सभी प्रकारों को एक ही लाइसेंस दिया जाता है।[101] इस फ्रेमवर्क के दायरे में आने वाली एक या सभी सेवाओं के लिए ऑथराइजेशन दिया जा सकता है।[101] वर्तमान में ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग/वॉयसमेल/ऑडियोटेक्स सेवाओं के लिए अलग से लाइसेंस दिए जाते हैं।[100,102] ऑडियोटेक्स सेवाओं में कॉल्स की ऑटोमैटिक आंसरिंग और कॉलर्स को ऑडियो इनफॉरमेशन का अनुवर्ती प्रावधान शामिल होता है।[103] इंटरैक्टिव वॉयर रिस्पांस सिस्टम (आईवीआरएस) भी इसके दायरे में आता है।[103] मौजूदा लाइसेंसीज़ के लिए यूनिफाइड लाइसेंस में माइग्रेशन वैकल्पिक होगा।[100]

वर्तमान में तीनों सेवाओं के लिए अलग लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत लाइसेंस फी नहीं चुकानी होती।[104] समायोजित सकल राजस्व (एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू) के 8% की दर से लाइसेंस फी अलग लाइसेंस व्यवस्था के अंतर्गत मौजूदा लाइसेंसधारियों के साथ-साथ यूनिफाइड लाइसेंस फ्रेमवर्क के अंतर्गत इन सेवाओं के नए लाइसेंसधारियों पर लागू होगी।[100,104,105] समायोजित सकल राजस्व कुछ करों तथा शुल्कों की कटौती के बाद सकल राजस्व का मूल्य होता है।[103] ये परिवर्तन 1 जनवरी, 2022 से प्रभावी होंगे।[100]

दूरसंचार और ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्रों में कारोबारी सुगमता पर ट्राई ने विचार मांगे

Saket Surya (saket@prsindia.org)

भारतीय दूरसंचार रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) ने 'दूरसंचार और ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में कारोबारी सुगमता' पर परामर्श पत्र जारी किया।[106] ट्राई ने कहा है कि दूरसंचार और ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास के मुख्य वाहकों के रूप में उभर रहे हैं। परामर्श पत्र का उद्देश्य भारत में इन दो क्षेत्रों के लिए एक अनुकूल कारोबारी माहौल बनाने के लिए प्रक्रियाओं, नीतियों और रेगुलेशंस में विभिन्न बाधाओं की पहचान करना और आवश्यक सुधार करना है।

परामर्श पत्र में निम्नलिखित एंटिटीज़ द्वारा इन दो क्षेत्रों के लिए अनुमति, पंजीकरण और लाइसेंस देने की प्रक्रियाएं शामिल हैं: (i) दूरसंचार विभाग, और अंतरिक्ष, (ii) सूचना और प्रसारण मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और इनफॉरमेशन टेक्नोलॉजी और ऊर्जा मंत्रालय, और (iii) ट्राई। इसने निम्नलिखित पर विचार मांगे हैं: (i) सरलीकरण, डिजिटलीकरण, और आवेदन, अनुमोदन और अपील प्रक्रियाओं का एकीकरण, (ii) अनुपालन और ऑडिट शर्तों को सुव्यवस्थित करना, (iii) व्यापार के अवसरों की खोज में निवेशकों की सुविधा के लिए तंत्र, और (iv) लाइसेंसिंग, पंजीकरण और अनुमतियों की वर्तमान प्रणाली के साथ जुड़ी समस्याएं जो इन क्षेत्रों में कारोबारी सुगमता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करते हैं।

टिप्पणियां 19 जनवरी, 2022 तक आमंत्रित हैं।

ट्राई ने डेटा सेंटर्स, इंटरकनेक्ट एक्सचेंज और कंटेंट डिलिवरी नेटवर्क्स के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क पर टिप्पणियां मांगी

Saket Surya (saket@prsindia.org)

भारतीय दूरसंचार रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) ने "भारत में डेटा सेंटर्स, डेटा कंटेंट नेटवर्क्स (सीडीएनज़) और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजेज़ ऑफ इंडिया की स्थापना के जरिए डेटा इकोनॉमी को बढ़ावा देने हेतु रेगुलेटरी फ्रेमवर्क" पर परामर्श पत्र जारी किया।[107] ट्राई ने कहा कि डिजिटल इकोसिस्टम के लिए ये बुनियादी ढांचे के मुख्य तत्व हैं।

डेटा सेंटर्स ऐसी फिजिकल फेसिलिटीज़ होते हैं जिन्हें डेटा और एप्लिकेशंस को होस्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सीडीएन सर्वर्स और नेटवर्क्स के वितरित समूह वाली एक प्रणाली है। इसे नेटवर्क के उस बिंदु को कंटेंट को डिलिवर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जोकि यूजर रिक्वेस्ट के प्वाइंट के निकट होता है। यूजर की भौगोलिक स्थिति, वेबपेज के ओरिजिन और कंटेंट डिलिवरी सर्वर की लोकेशन के आधार पर सिस्टम कंटेंट की त्वरित डिलिवरी सुनिश्चित करता है। इंटरनेट एक्सचेंज प्वाइंट (आईएक्सपी) इंटकनेक्शन को एनेबल करके नेटवर्क मेंबर्स के बीच ट्रैफिक को जल्दी रूट करने और लागत प्रभावी बनाने वाली तकनीकी सुविधा है। कमर्शियल लिहाज से इंटरनेट ग्लोबल, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय प्रोवाइडर्स की हेरारकी है। पेरेंट सीडीएम के कंटेट या इंटरनेशनल डेटा सेंटर पर होस्टेड वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए ग्लोबल आईएक्सपी स्थानीय आईएक्सपी से इंटरकनेक्ट होते हैं और फिर स्थानीय डेटा सेंटर्स और इसके बाद चाइल्ड सीडीएनज़ को ट्रैफिक पास कर देते हैं। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर सेवाओं के एक्सेस के लिए यूजर्स को लाइस्ट माइल कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं। ट्राई ने कहा कि यूजर रिक्वेस्ट को प्रोसस करने के लिए नेटवर्क को [illegible] की आवश्यकता है।

ट्राई ने निम्नलिखित पर विचार मांगे हैं: (i) डेटा सेंटर्स, सीडीएन और आईएक्सपी [illegible] (ii) डेटा सेंटर्स के लिए बिल्डिंग, सुरक्षा, आपदा बहाली और सुरक्षा मानदंड, (iii) डेडिकेटेड फाइबर और बिजली जैसी सुविधाओं का एक्सेस और रियायती शुल्क या सब्सिडी के प्रावधान, (iv) भारत में एक एकीकृत डेटा सेंटर नीति और केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता, (v) भारत में सीडीएन और इंटरकनेक्ट एक्सचेंजों के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की जरूरत।

टिप्पणियां 13 जनवरी, 2022 तक आमंत्रित हैं।

ट्राई ने टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग में स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए टिप्पणियां आमंत्रित कीं

Rajat Asthana (rajat@prsindia.org)

भारतीय दूरसंचार रेगुलेटरी अथॉरिटी (ट्राई) ने "टेलीवजन ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा" पर परामर्श पत्र जारी किया।[108] ट्राई ने कहा कि ब्रॉडकास्टिंग उपकरणों के ग्लोबल बाजार का आकार 2021 में लगभग 6.2 बिलियन USD का है। उत्तरी अमेरिका, यूरोप और चीन का बाजार में सबसे अधिक हिस्सा है। भारत में टेलीविजन (टीवी) पेनेंट्रेशन तुलनात्मक रूप से कम है (केवल 55%)। इसका यह मायने है कि अभी भी एक बड़ी क्षमता का दोहन नहीं किया गया है जो ब्रॉडकास्टिंग उपकरणों के स्थानीय निर्माण के माध्यम से भविष्य की मांग को पूरा करने का मौका देता है।

ब्रॉडकास्टिंग उपकरणों को निम्नलिखित श्रेणियों में बांटा जा सकता है: (i) हेडेड उपकरण (सेटेलाइट सिग्नल्स को प्रोसेस करने के लिए), (ii) ट्रांसमिशन उपकरण (केबल सिग्नल्स के वितरण के लिए) और (iii) उपभोक्ता परिसर उपकरण (सेट-टॉप बॉक्स जैसे लास्ट माइल हार्डवेयर। ट्राई ने कहा कि उपकरणों की अधिकतर मांग या तो आयात द्वारा पूरी का जाती है या सेमी नॉक्ड-डाउन पार्ट्स का आयात किया जाता है जिन्हें फिर भारत में एसेंबल किया जाता है।

ट्राई ने निम्नलिखित पर विचार मांगे हैं: (i) टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र में स्थानीय मैन्यूफैक्चरिंग को बढ़ावा देने की आवश्यकता, (ii) भारत में ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र की मांग को पूरा करने के लिए भारतीय निर्माताओं की क्षमता, (iii) भारतीय उपकरण मैन्यूफैक्चरर्स की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के उपाय, और (iv) ब्रॉडकास्टिंग क्षेत्र को उत्पादन से जुड़े इन्सेंटिव्स और इन इन्सेंटिव्स के दायरे में आने वाले उपकरणों के प्रकार।

टिप्पणियां 2 फरवरी, 2022 तक आमंत्रित हैं।

बिजली

Omir Kumar (omir@prsindia.org)

अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणालियों के ओपन एक्सेस के लिए रेगुलेशंस पर टिप्पणियां आमंत्रित

केंद्रीय बिजली रेगुलेटरी कमीशन (सीईआरसी) ने ड्राफ्ट सीईआरसी (अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणाली की

कनेक्टिविटी और जनरल नेटवर्क एक्सेस) रेगुलेशंस, 2021 पर टिप्पणियां आमंत्रित कीं।[109,110] ड्राफ्ट रेगुलेशंस बिजली एक्ट, 2003 के अंतर्गत तैयार किए गए हैं। एक्ट सीईआरसी को बिजली के अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन को रेगुलेट करने का अधिकार देता है।[111] ड्राफ्ट रेगुलेशंस में अंतरराज्यीय ट्रांसमिशन प्रणालियों (आईएसटीएस) के उपयोग के लिए उपभोक्ताओं, उत्पादन कंपनियों और वितरण लाइसेंसधारियों के लिए गैर-भेदभावपूर्ण ओपन एक्सेस का प्रावधान है।[109] ड्राफ्ट रेगुलेशंस की मुख्य विशेषताओं में निम्न शामिल हैं:

- **पात्रता:** प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत बिजली सप्लाई करने के लिए आईएसटीएस को कनेक्टिविटी देने का आवेदन करने वाली पात्र एंटिटीज़ में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) न्यूनतम 50 मेगावाट (मेगावाट) की स्थापित क्षमता वाले उत्पादन स्टेशन, (ii) आईएसटीएस को न्यूनतम 50 मेगावाट इंजेक्ट करने की क्षमता वाले कैप्टिव उत्पादन संयंत्र, और (iii) रीन्यूएबल पावर पार्क डेवलपर। ओपन एक्सेस व्यवस्था के अंतर्गत ग्रिड से बिजली खींचने के लिए जनरल नेटवर्क एक्सेस (जीएनए) का आवेदन करने वाली पात्र एंटिटीज़ में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) आईएसटीएस से जुड़े वितरण लाइसेंसधारियों की ओर से राज्य ट्रांसमिशन यूटिलिटी, (ii) आईएसटीएस से जुड़ी एक खरीद इकाई, (iii) एक वितरण लाइसेंसधारी, या एक थोक उपभोक्ता (न्यूनतम 50 मेगावाट के भार के साथ), (iv) बिजली के सीमा पारीय कारोबार में लगे व्यापार लाइसेंसधारी, और (v) ऑक्सिलरी पावर के ड्रॉअलर के लिए आईएसटीएस से जुड़े ट्रांसमिशन लाइसेंसधारी।
- **अस्थायी जीएनए:** कुछ एंटिटीज़ अस्थायी जीएनए के लिए आवेदन की पात्र होंगी। इन एंटिटीज़ में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) खरीदार (वितरण लाइसेंसधारी और आईएसटीएस से सीधे जुड़े थोक उपभोक्ता सहित) और (ii) व्यापार लाइसेंसधारी और खरीदारों की ओर से द्विपक्षीय लेनदेन और बिजली के सीमा पारीय व्यापार में लगे हुए। अस्थायी जीएनए के लिए आवेदन वन टाइम ब्लॉक तथा 11 महीने तक की अवधि के लिए किया जा सकता है।
- **एप्लिकेबल शुल्क:** प्रस्तावित व्यवस्था के अंतर्गत ट्रांसमिशन शुल्क और और आईएसटीएस के इस्तेमाल के नुकसान को आईएसटीएस की खरीदार एंटिटीज़ के बीच बांटा जाता है। कनेक्टिविटी मिलने वाली एंटिटीज़ और जीएनए द्वारा एकमुश्त शुल्क देय होगा। जिन्हें जीएनए मिला है, उन्हें बिजली के शेड्यूलिंग और डिस्पैच के लिए लोड डिस्पैच केंद्रों (राष्ट्रीय, क्षेत्रीय और राज्य) को शुल्क का भुगतान करना होगा। डेविएशन शुल्क भी लागू होंगे। डेविएशन शुल्क अधिक या कम इंजेक्शन या बिजली की निकासी के लिए लगाया जाता है।

टिप्पणियां 17 जनवरी, 2021 तक आमंत्रित हैं।

[1] Vital Stats, Parliament functioning in Monsoon Session 2021, December 22, 2021, https://prsindia.org/files/parliament/session_track/2021/vital_stats/Winter_2021_Vital_Statistics.pdf.

[2] Ministry of Health and Family Welfare website, last accessed on January 1, 2021, https://www.mohfw.gov.in/index.html.

[3] "Cumulative Coverage Report of COVID-19 Vaccination", Ministry of Health and Family Welfare, January 1, 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/CummulativeCovidVaccinationReport31december2021.pdf.

[4] Guidelines for COVID-19 vaccination of children between 15-18 years and precaution dose to HCWs, FLWs & 60+ population with comorbidities, Ministry of Health and Family Welfare, December 27, 2021, https://www.mohfw.gov.in/pdf/GuidelinesforCOVID19VaccinationofChildrenbetween15to18yearsandPrecautionDosetoHCWsFLWs&60populationwithcomorbidities.pdf.

[5] Twitter, Bharat Biotech, December 25, 2021, https://twitter.com/BharatBiotech/status/1474786762039828480.

[6] Twitter handle of the Minister of Health and Family Welfare, Government of India, December 28, 2021, https://twitter.com/mansukhmandviya/status/1475699946544570372.

[7] "Press Statement by the Drugs Controller General of India (DCGI) on Restricted Emergency approval of COVID-19 virus vaccine", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, January 3, 2021.

[8] "Russia's Sputnik V has been approved for emergency use in India, Govt. authorises foreign-produced COVID vaccines with emergency approval of WHO-listed agencies", Press Information Bureau, Ministry of Health and Family Welfare, April 13, 2021.

[9] Twitter handle of Press Information Bureau, June 29, 2021, https://twitter.com/PIB_India/status/1409843877482098688.

[10] Twitter handle of the Minister of Health and Family Welfare, Government of India, August 7, 2021, https://twitter.com/mansukhmandviya/status/1423915409791610886?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1423915409791610886%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fpib.gov.in%2FPressReleaseIframePage.aspx%3FPRID%3D1743567.

[11] "DBT-BIRAC supported ZyCoV-D developed by Zydus Cadila Receives Emergency Use Authorization", Press Information Bureau, Ministry of Science and Technology, August 20, 2021.

[12] Order No 40-3/2020-DM-I(A), Ministry of Home Affairs, December 27, 2021, https://www.mha.gov.in/sites/default/files/MHAOrder_27122021.pdf.

[13] "No. 4/1/2020-IR", Director General of Civil Aviation, December 9, 2021, https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=150829087.

[14] No.4/1/2020-IR, Director General of Civil Aviation, March 26, 2020, https://dgca.gov.in/digigovportal/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=130618625.

[15] No. 4/1/2020-IR, Director General of Civil Aviation, September 28, 2021, https://www.dgca.gov.in/digigovportal/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=150684415.

[16] "No. 4/1/2020-IR", Director General of Civil Aviation, November 26, 2021, https://www.dgca.gov.in/digigov-portal/Upload?flag=iframeAttachView&attachId=150798370.

[17] Monetary Policy Statement, 2021-22, Resolution of the Monetary Policy Committee (MPC), December 6-8, 2021, Reserve Bank of India, December 8, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR13224993A3AFC54142A486167B2570F6C93F.PDF.

[18] Developments in India's Balance of Payments during the Second Quarter (July-September) of 2021-22, Reserve Bank of India, December 31, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/PressRelease/PDFs/PR1460E7BB6783CA524F92B8C2E1798084C77B.PDF.

[19] The Chartered Accountants, the Cost and Works Accountants and the Company Secretaries (Amendment) Bill, 2021 http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/161_2021_ls_Eng.pdf.

[20] The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Bill, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/151C_2021_LS_E.pdf.

[21] The Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Amendment) Ordinance, 2021, September 30, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/230086.pdf.

[22] Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1985-61.pdf.

[23] Court on its Own Motion vs The Union of India, High Court of Tripura, Criminal Reference No. 1 of 2020, June 4, 2021. https://services.ecourts.gov.in/ecourtindiaHC/cases/display_pdf.php?filename=U%2BbhtlrLe2adAHN8Tz%2F1d%2Feo6Wpl%2Fb%2FDZ9TPtLy5ivd1ySDDa7BclBtN7CzKBxiJ&caseno=Crl.Ref./1/2020&cCode=1&appFlag=.

[24] Prompt Corrective Action (PCA) Framework for Non-Banking Financial Companies (NBFCs), Reserve Bank of India, December 14, 2021, https://rbidocs.rbi.org.in/rdocs/notification/PDFs/139PCANBFCSC3389782516C440DAF56D30473BF005B.PDF.

[25] SEBI Board Meeting, Securities and Exchange Board of India, December 28, 2021, https://www.sebi.gov.in/media/press-releases/dec-2021/sebi-board-meeting_55018.html.

[26] Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India, September 11, 2018, https://www.sebi.gov.in/web/?file=https://www.sebi.gov.in/sebi_data/attachdocs/nov-2021/1636610000922.pdf#page=1&zoom=page-width,-15,842.

[27] Review of certain aspects of Public issue framework under SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, Securities and Exchange Board of India, November 16, 2021, https://www.sebi.gov.in/reports-andstatistics/reports/nov-2021/consultation-paper-on-review-ofcertain-aspects-of-public-issue-framework-under-sebi-issueof-capital-and-disclosure-requirements-regulations2018_53983.html.

[28] No. DPE/3(1)/2021-DD, Department of Public Enterprises, Ministry of Finance, December 13, 2021, https://dpe.gov.in/sites/default/files/DPE_OM_DTD_13.12.21_Guidelines_on_New_PSE_Policy_0.pdf.

[29] No. 3/3/2020-DIPAM-IIB (E), Department of Investment and Public Asset Management, Ministry of Finance, February 4, 2021, https://dipam.gov.in/strategic-disinvestment.

[30] Consultation Paper on Algorithmic Trading by Retail Investors, Securities and Exchange Board of India, December 9, 2021, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/dec-2021/consultation-paper-on-algorithmic-trading-by-retail-investors_54515.html.

[31] Consultation Paper on Developing unique set of commodities, Securities and Exchange Board of India, December 7, 2021, https://www.sebi.gov.in/reports-and-statistics/reports/dec-2021/consultation-paper-on-developing-unique-set-of-commodities_54473.html.

[32] The Election Laws (Amendment) Bill, 2021, Lok Sabha, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2021/The%20Election%20Laws%20(Amendment)%20Bill,%202021.pdf.

[33] The Representation of the People Act, 1950, https://legislative.gov.in/sites/default/files/03_representation%20of%20the%20people%20act%2C%201950.pdf.

[34] The Representation of the People Act, 1951, https://legislative.gov.in/sites/default/files/04_representation%20of%20the%20people%20act%2C%201951.pdf.

[35] The High Court and Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Amendment Bill, 2021, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2021/High%20Court%20Judges%20Bill,%202021.pdf.

[36] The High Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1954, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1954-28.pdf.

[37] The Supreme Court Judges (Salaries and Conditions of Service) Act, 1958, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1958-41.pdf.

[38] The Mediation Bill, 2021, Rajya Sabha, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2021/Mediation%20Bill,%202021.pdf.

[39] Comments/views invited on the draft Notaries (Amendment) Bill, Ministry of Law and Justice, December 6, 2021, https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/Comments-Sought-on-NotariesAmendmentBill.pdf.

[40] The draft Notaries (Amendment) Bill, 2021, Ministry of Law and Justice, December 6, 2021, https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/Draft-of-NotariesAmendmentBill-2021.pdf.

[41] The Notaries Act, 1952, https://legalaffairs.gov.in/sites/default/files/The_Notaries_Act_1952_0.pdf.

[42] The Central Vigilance Commission (Amendment) Bill, 2021, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, December 3, 2021, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2021/CENTRAL%20VIGILANCE%20COMMISSION%20(AMENDMENT)%20BILL,%202021.pdf.

[43] CG-DL-E-14112021-231129, Gazette of India, Ministry of Law and Justice, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/231129.pdf.

[44] The Central Vigilance Commission Act, 2003, https://cvc.gov.in/sites/default/files/cvcact_0.pdf.

[45] The Delhi Special Police Establishment (Amendment) Bill, 2021, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, December 3, 2021, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2021/Delhi%20Special%20Police%20Establishment%20(Amendment)%20Bill,%202021.pdf.

[46] CG-DL-E-14112021-231130, Gazette of India, Ministry of Law and Justice, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/231130.pdf.

[47] The Delhi Special Police Establishment Act, 1946, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1946-25.pdf.

[48] Report no 110 on Pensioner's Grievances - Impact of Pension Adalats and Centralised Pensioners Grievance Redress and Monitoring System (CPENGRAMS), December 10, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/18/164/110_2021_12_12.pdf.

[49] Report No. 111: Strengthening of Grievance Redressal Mechanism of Government of India, Standing Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice, December 10, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/18/164/111_2021_12_12.pdf.

[50] The Prohibition of Child Marriage (Amendment) Bill, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/163_2021_ls_Eng.pdf.

[51] The Prohibition of Child Marriage Act, 2006, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A2007-06.pdf.

[52] The Wild Life (Protection) Amendment Bill, 2021, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/159_2021_ls_Eng.pdf.

[53] The Wild Life (Protection) Act, 1972, https://legislative.gov.in/sites/default/files/A1972-53_0.pdf.

[54] What is CITES?, CITES, https://cites.org/eng/disc/what.php.

[55] The Biological Diversity (Amendment) Bill, 2021, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/158_2021_LS_Eng.pdf.

[56] The Biological Diversity Act, 2002, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/2046/1/200318.pdf.

[57] The Dam Safety Bill, 2019, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/PassedLoksabha/190C_2019_LS_Eng.pdf.

[58] Report of the Comptroller and Auditor General of India on Ground Water management and Regulation, https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2021/Report%20No.%209%20of%202021_GWMR_English-061c19df1d9dff7.23091105.pdf.

[59] "Cabinet approves implementation of Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana for 2021-26" Ministry of Jal Shakti, Press Information Bureau, December 15, 2021.

[60] "Irrigation Schemes for the Benefit of Small and Marginal Farmers", Cabinet Committee on Economic Affairs, Press Information Bureau, August 2, 2021.

[61] "Cabinet approves Ken-Betwa Interlinking of Rivers Project", Press Information Bureau, December 8, 2021.

[62] The National Anti-Doping Bill, 2021, http://164.100.47.4/BillsTexts/LSBillTexts/Asintroduced/160_2021_ls_Eng.pdf.

[63] The Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020, Lok Sabha, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2020/Assisted%20Reproductive%20Technology%20Bill%20Text%20passed%20by%20LS.pdf.

[64] 129th Report on the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Bill, 2020, Standing Committee on Health and Family Welfare, March 19, 2021, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2020/SCR%20The%20Assisted%20Reproductive%20Technology%20(Regulation)%20Bill,%202020.pdf.

[65] The Surrogacy (Regulation) Bill, 2019, Lok Sabha, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2019/Bill%20text%20as%20passed%20by%20LS-%20Surrogacy%20bill,%202019.pdf.

[66] Report of the Select Committee on the Surrogacy Regulation Bill, 2019, February 5, 2020, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2019/Select%20Comm%20Report-%20Surrogacy%20Bill.pdf.

[67] The National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021, Lok Sabha, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2021/The%20National%20Institute%20Of%20Pharmaceutical%20Education%20And%20Research%20(Amendment)%20Bill,%202021.pdf.

[68] 23rd Report on the National Institute of Pharmaceutical Education and Research (Amendment) Bill, 2021, Standing Committee on Chemicals and Fertilisers, August 4, 2021, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2021/SCR%20-%20NIPER%20bill,%202021.pdf.

[69] Report no 36 on the Pesticide Management Bill, 2020, December 21, 2021, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2020/SC%20Report%20-%20Pesticide%20Bill.pdf.

[70] Report of the Joint Committee on the Personal Data Protection Bill, 2019, Lok Sabha, December 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Joint%20Committee%20on%20the%20Personal%20Data%20Protection%20Bill,%202019/17_Joint_Committee_on_the_Personal_Data_Protection_Bill_2019_1.pdf.

[71] The Personal Data Protection Bill, 2019 as introduced in Lok Sabha on December 11, 2019, https://prsindia.org/files/bills_acts/bills_parliament/2019/Personal%20Data%20Protection%20Bill,%202019.pdf.

[72] "Rs.76000 crore (>10 billion USD) approved for development of semiconductors and display manufacturing ecosystem in India; Setting up of India Semiconductor Mission (ISM) to drive this sector", Ministry of Electronics and Information Technology, Press Information Bureau, December 15, 2021.

[73] No. EE-9/5/2021-R&D-E, Ministry of Electronics and Information Technology, The Gazette of India, December 21, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/232049.pdf.

[74] No. W-38/30/2021-IPHW, Ministry of Electronics and Information Technology, The Gazette of India, December 21, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/232055.pdf.

[75] F. No. W-38/6/2021-IPHW, Ministry of Electronics and Information Technology, The Gazette of India, December 21, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/232048.pdf.

[76] F. No. W-38/23/2021-IPHW, Ministry of Electronics and Information Technology, The Gazette of India, December 21, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/232047.pdf.

[77] Website of Semi-Conductor Laboratory as accessed on December 28, 2021, https://www.scl.gov.in/scl.html.

[78] Report no 27 on Ethical standards in media coverage, December 1, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Communications%20and%20Information%20Technology/17_Communications_and_Information_Technology_27.pdf.

[79] Report No: 26- Suspension of Telecom Services/Internet and its Impact, Standing Committee on Communications and Information Technology, December 1, 2021, "http://164.100.47.193/lsscommittee/Communications%20and%20Information%20Technology/17_Communications_and_Information_Technology_26.pdf.

[80] Temporary Suspension of Telecom Services (Public Emergency or Public Safety) Rules, 2017, Ministry of Communications, August 7, 2017, https://dot.gov.in/sites/default/files/Suspension%20Rules.pdf.

[81] The Indian Telegraph Act, 1885, https://dot.gov.in/act-rules-content/2442.

[82]Anuradha Bhasin Vs. UoI (WP No. 1031/2019), Supreme Court of India, January 10, 2020, https://main.sci.gov.in/supremecourt/2019/28817/28817_2019_2_1501_19350_Judgement_10-Jan-2020.pdf.

[83]CG-DL-E-10112020-223025, Ministry of Communications, Gazette of India, November 10, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/2020_11_11%20PEPS%20AS.pdf.

[84] National Strategy on Blockchain, Ministry of Electronics and Information Technology, December 2021, https://www.meity.gov.in/writereaddata/files/National_BCT_Strategy.pdf.

[85] Notification No. 20-271/2010 AS-I Vol-III, Department of Telecommunications, December 21, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/21122021%20UL%20CDR%20two%20years.pdf.

[86] F. No. 45001/8/2019-DAS, Ministry of Information and Broadcasting, December 30, 2021, https://mib.gov.in/sites/default/files/Guidelines%20for%20sharing%20of%20infrastructure.pdf.

[87] "Cabinet approves an incentive scheme for promotion of RuPay Debit Cards and low-value BHIM-UPI transactions (P2M)", Union Cabinet, Press Information Bureau, December 15, 2021.

[88] Notification No. 24(1)/2020-DPD-Part (2), Ministry of Electronics and Information Technology, The Gazette of India; December 17, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/231960.pdf.

[89] Report no 309 on Electric & Hybrid Mobility – Prospects and Challenges in Automobile Industry, December 6, 2021, https://rajyasabha.nic.in/rsnew/Committee_site/Committee_File/ReportFile/17/163/309_2021_12_16.pdf

[90] Report no. 26, Standing Committee on Social Justice and Empowerment: 'Babu Jagjivan Ram Chhatrawas Yojana for SC boys and girls', Lok Sabha, December 2, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Social%20Justice%20&%20Empowerment/17_Social_Justice_And_Empowerment_26.pdf.

[91] Report no 10 on PM Street Vendor's Atmanirbhar Nidhi (PM SVANidhi), December 13, 2021, http://164.100.47.193/lsscommittee/Housing%20and%20Urban%20Affairs/17_Housing_and_Urban_Affairs_10.pdf.

[92] Report of the Comptroller and Auditor General of India on Performance Audit of Setting up of new Indian Institutes of Technology (IITs), https://cag.gov.in/uploads/download_audit_report/2021/Report%20No.%2020%20of%202021_IITs_English_PDF%20A-061c2ed6ce12811.66323547.pdf.

[93] CG-DL-E-02122021-231557, Ministry of Defence, December 2, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/231557.pdf.

[94] G.S.R. 912(E), Gazette of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/232278.pdf.

[95] Consumer Protection Act, 2019, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/210422.pdf.

[96] "Centre notifies rules for Consumer Protection (Jurisdiction of the District Commission, the State Commission and the National Commission) Rules, 2021", Press Information Bureau, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 30, 2021.

[97] G.S.R. 889 (E), Gazette of India, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, December 28, 2021, https://egazette.nic.in/WriteReadData/2021/232214.pdf.

[98] The Consumer Protection Act, 2019, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, https://consumeraffairs.nic.in/sites/default/files/CP%20Act%202019.pdf.

[99] The Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, https://www.indiacode.nic.in/bitstream/123456789/1628/1/197843.pdf.

[100] "Licensing framework for Audio Conferencing/ Audiotex/ Voice Mail Services to be part of Unified License, decides Telecom Department", Department of Telecommunications, Press Information Bureau, December 30, 2021.

[101] Website of Department of Telecommunications as accessed on December 30, 2021, https://dot.gov.in/unified-licnse.

[102] Notification No 846-53/2000-VAS, "Guidelines for issue of licence for voice mail/audiotext/unified messaging service", Department of Telecommunications, July 16, 2001, https://dot.gov.in/sites/default/files/Guidelines%20for%20issue%20of%20license%20forVMS-Audiotex-UMS_0.pdf.

[103] "Consultation paper on Review of Voice Mail/Audiotex/Unified Messaging Services Licence", https://www.trai.gov.in/sites/default/files/Consultation_Paper_Review_of_VMS_Audiotex_UMSL_14_june_2016.pdf.

[104] File No 11/10/2020-Policy, Department of Telecommunications, December 30, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/Amendments%20in%20VoicemailAudiotexUMS%20dated%2030.12.2021%20w.e.f.01.01.2021.pdf.

[105] Notification No. 20-577/2016-AS-I (Vol-III), Department of Telecommunications, December 31, 2021, https://dot.gov.in/sites/default/files/Audiotex%20new%20chapter.pdf.

[106] Consultation Paper on "Ease of Doing Business in Telecom and Broadcasting Sector", Telecom Regulatory Authority of India, December 8, 2021, https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_08122021_0.pdf.

[107] Consultation Paper on "Regulatory Framework for Promoting Data Economy through Establishment of Data Centres, Content Delivery Networks, and Interconnect Exchanges in India", Telecom Regulatory Authority of India, December 16, 2021, https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_16122021_0.pdf.

[108] Consultation Paper on "Promoting Local Manufacturing in the Television Broadcasting Sector", Telecom Regulatory Authority of India, December 22, 2021, https://trai.gov.in/sites/default/files/CP_22122021_0.pdf.

[109] Central Electricity Regulatory Commission (Connectivity and General Network Access to the inter-State Transmission System) Regulations, 2021, Central Electricity Regulatory Commission, December 16, 2021, https://cercind.gov.in/2021/draft_reg/Draft-CGNA-Regulations.pdf.

[110] Public Notice No. L-1/261/2021/CERC, Central Electricity Regulatory Commission, December 16, 2021, https://cercind.gov.in/2021/draft_reg/Notice-CGNA.pdf.

[111] The Electricity Act, 2003, https://cercind.gov.in/Act-with-amendment.pdf.

अस्वीकरणः प्रस्तुत रिपोर्ट आपके समक्ष सूचना प्रदान करने के लिए प्रस्तुत की गई है। पीआरएस लेजिसलेटिव रिसर्च (पीआरएस) के नाम उल्लेख के साथ इस रिपोर्ट का पूर्ण रूपेण या आंशिक रूप से गैर व्यावसायिक उद्देश्य के लिए पुनःप्रयोग या पुनर्वितरण किया जा सकता है। रिपोर्ट में प्रस्तुत विचार के लिए अंततः लेखक या लेखिका उत्तरदायी हैं। यद्यपि पीआरएस विश्वसनीय और व्यापक सूचना का प्रयोग करने का हर संभव प्रयास करता है किंतु पीआरएस दावा नहीं करता कि प्रस्तुत रिपोर्ट की सामग्री सही या पूर्ण है। पीआरएस एक स्वतंत्र, अलाभकारी समूह है। रिपोर्ट को इसे प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के उद्देश्यों अथवा विचारों से निरपेक्ष होकर तैयार किया गया है। यह सारांश मूल रूप से अंग्रेजी में तैयार किया गया था। हिंदी रूपांतरण में किसी भी प्रकार की अस्पष्टता की स्थिति में अंग्रेजी के मूल सारांश से इसकी पुष्टि की जा सकती है।